2014 का विधेयक संख्यांक 8.

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2014

खंडों का क्रम

खंड

भाग 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम ।
2. परिभा-ाएं ।

भाग 2

आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन

3. तेलंगाना राज्य का बनाया जाना ।
4. आंध्र प्रदेश राज्य और उसके प्रादेशिक खंड ।
5. तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए हैदराबाद का सामान्य राजधानी होना ।
6. आंध्र प्रदेश के लिए एक राजधानी का गठन करने के लिए विशे-ाज्ञ समिति ।
7. विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल का सामान्य राज्यपाल होना ।
8. हैदराबाद की सामान्य राजधानी के निवासियों की संरक्षा करने का राज्यपाल का उत्तरायित्व ।
9. केन्द्रीय सरकार से उत्तरवर्ती राज्यों को पुलिस बलों की सहायता, आदि ।
10. संविधान की पहली अनुसूची का संशोधन ।
11. राज्य सरकार की व्यावृत्त शक्तियां ।

भाग 3

विधान-मंडलों में प्रतिनिधित्व

राज्य सभा

12. संविधान की चौथी अनुसूची का संशोधन ।
13. आसीन सदस्यों का आबंटन ।

लोक सभा

14. लोक सभा में प्रतिनिधित्व ।
15. संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन ।
16. आसीन सदस्यों के बारे में उपबंध ।

विधान सभा

17. विधान सभाओं के बारे में उपबंध ।
18. आसीन सदस्यों का आबंटन ।
19. तेलंगाना की अंतःकालीन विधान सभा की संरचना ।
20. विधान सभाओं की अवधि ।
21. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ।
22. प्रक्रिया के नियम ।

विधान परि-ादें

23. उत्तरवर्ती राज्यों के लिए अन्तःकालीन विधान परि-ाद् ।
24. उत्तरवर्ती राज्यों के लिए विधान परि-ाद् ।
25. परि-ाद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश का संशोधन ।
26. सभापति ।

खंड

निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन

27. निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन ।
28. परिसीमन आदेशों को अद्यतन रखने की निर्वाचन आयोग की शक्ति ।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां

29. अनुसूचित जातियां आदेश का संशोधन ।
30. अनुसूचित जनजातियां आदेश का संशोधन ।

भाग 4

उच्च न्यायालय

31. आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना किए जाने तक हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय का सामान्य उच्च न्यायालय होना ।
32. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ।
33. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ।
34. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की अधिकारिता ।
35. विधिज्ञ परि-ाद् और अधिवक्ताओं के संबंध में विशे-ा उपबंध ।
36. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया ।
37. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की मुद्रा की अभिरक्षा ।
38. रिटों और अन्य आदेशिकाओं का प्ररूप ।
39. न्यायाधीशों की शक्तियां ।
40. उच्चतम न्यायालय को अपीलों के बारे में प्रक्रिया ।
41. हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को कार्यवाहियों का अंतरण ।
42. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को अंतरित कार्यवाहियों में उपसंजात होने या कार्यवाही करने का अधिकार ।
43. निर्वचन ।
44. व्यावृत्तियां ।

भाग 5

व्यय का प्राधिकृत किया जाना और राजस्व का वितरण

45. तेलंगाना राज्य के व्यय को प्राधिकृत किया जाना ।
46. आंध्र प्रदेश राज्य के लेखाओं से संबंधित रिपोर्टें ।
47. राजस्व का वितरण ।

भाग 6

आस्तियों और दायित्वों का प्रभाजन

48. भाग का लागू होना ।
49. भूमि और माल ।
50. खजाना और बैंक अतिशे-ा ।
51. करों की बकाया ।
52. उधारों और अग्रिमों को वसूल करने का अधिकार ।
53. कतिपय निधियों में विनिधान और जमा ।
54. राज्य उपक्रम की आस्तियां और दायित्व ।
55. लोक ऋण ।
56. प्लवमान ऋण ।
57. आधिक्य में संगृहीत करों का प्रतिदाय ।
58. निक्षेप, आदि ।

59. भवि-य निधि ।

खंड

60. पेंशन ।

61. संविदाएं ।

62. अनुयोज्य दो-ा की बाबत दायित्व ।

63. प्रत्याभूतिदाता के रूप में दायित्व ।

64. उचंत मदें ।

65. अवशि-ट उपबंध ।

66. आस्तियों या दायित्व का करार द्वारा प्रभाजन ।

67. कतिपय मामलों में आबंटन या समायोजन का आदेश करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

68. कतिपय व्यय का संचित निधि पर भारित होना ।

भाग 7

कतिपय निगमों के बारे में उपबंध

69. विभिन्न कंपनियों और निगमों के बारे में उपबंध ।

70. विद्युत शक्ति के उत्पादन और प्रदाय तथा जल के प्रदाय के बारे में व्यवस्थाओं का बना रहना ।

71. आंध्र प्रदेश राज्य वित्तीय निगम के बारे में उपबंध ।

72. कतिपय कंपनियों के बारे में उपबंध ।

73. कतिपय विद्यमान सड़क परिवहन अनुज्ञा पत्रों के चालू रहने के बारे में अस्थायी उपबंध ।

74. कतिपय मामलों में छंटनी प्रतिकर से संबंधित विशे-ा उपबंध ।

75. आय-कर के बारे में विशे-ा उपबंध ।

76. कतिपय राज्य संस्थाओं में सुविधाओं का जारी रहना ।

भाग 8

सेवाओं के बारे में उपबंध

77. अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित उपबंध ।

78. अन्य सेवाओं से संबंधित उपबंध ।

79. सेवाओं से संबंधित अन्य उपबंध ।

80. अधिकारियों के उसी पद पर बने रहने के बारे में उपबंध ।

81. सलाहकार समितियां ।

82. निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

83. पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, आदि के कर्मचारियों के लिए उपबंध ।

84. राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध ।

भाग 9

जल संसाधनों का प्रबंधन और विकास

85. गोदावरी और कृ-णा नदी जल संसाधनों और उनके प्रबंधन बोर्डों के लिए उच्चतर परि-ाद् ।

86. नदी प्रबंध बोर्ड का गठन और उसके कृत्य ।

87. प्रबंध बोर्ड के कर्मचारिवृन्द ।

88. बोर्ड की अधिकारिता ।

89. विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति ।

90. जल संसाधनों का आबंटन ।

91. पोलावरम् सिंचाई परियोजना का रा-ट्रीय परियोजना होना ।

92. तुंगभद्रा बोर्ड के संबंध में ठहराव ।

खंड

भाग 10

अवसंरचना और विशे-ा आर्थिक उपाय

93. उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए सिद्धांतों, मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन किया जाना ।

94. उत्तरवर्ती राज्यों की प्रगति और विकास से संबंधित उपाय ।

95. कर प्रोत्साहनों सहित राजवित्तीय उपाय ।

भाग 11

उच्चतर शिक्षा तक पहुंच

96. सभी छात्रों को क्वालिटीयुक्त उच्चतर शिक्षा के समान अवसर ।

भाग 12

विधिक और प्रकीर्ण उपबंध

97. संविधान के अनुच्छेद 168 का संशोधन ।

98. संविधान के अनुच्छेद 371घ का संशोधन ।

99. 1951 के अधिनियम 43 की धारा 15क का संशोधन ।

100. 1956 के अधिनियम 37 की धारा 15 का संशोधन ।

101. विधियों का राज्यक्षेत्रीय विस्तार ।

102. विधियों के अनुकूलन की शक्ति ।

103. विधियों के अर्थान्वयन की शक्ति ।

104. कानूनी कृत्यों का प्रयोग करने वाले प्राधिकारियों, आदि को नामित करने की शक्ति ।

105. विधिक कार्यवाहियां ।

106. लंबित कार्यवाहियों का अंतरण ।

107. कतिपय मामलों में प्लीडरों का विधि व्यवसाय करने का अधिकार ।

108. अधिनियम के उपबंधों का अन्य विधियों से असंगत होने की दशा में प्रभाव ।

109. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

पहली अनुसूची ।

दूसरी अनुसूची ।

तीसरी अनुसूची ।

चौथी अनुसूची ।

पांचवीं अनुसूची ।

छठी अनुसूची ।

सातवीं अनुसूची ।

आठवीं अनुसूची ।

नवीं अनुसूची ।

दसवीं अनुसूची ।

ग्यारहवीं अनुसूची ।

बारहवीं अनुसूची ।

तेरहवीं अनुसूची ।

<u>**2014 का विधेयक संख्यांक 8.**</u>

[दि आंध्र प्रदेश रीआर्गेनाइजेशन बिल, 2014 का हिन्दी अनुवाद]

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2014

विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन और
उससे संबंधित वि-ायों का उपबंध
करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें व-र् में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

भाग 1

प्रारंभिक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 है । संक्षिप्त नाम ।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-- परिभा-ाएं ।

(क) ''नियत दिन'' से वह दिन अभिप्रेत है जो केंद्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे ;

(ख) ''अनुच्छेद'' से संविधान का कोई अनुच्छेद अभिप्रेत है ;

(ग) ''सभा निर्वाचन-क्षेत्र'', ''परि-ाद् निर्वाचन-क्षेत्र'' और ''संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र''

1950 का 43 के वही अर्थ हैं, जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में हैं ;

(घ) "निर्वाचन आयोग" से रा-ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 324 के अधीन नियुक्त निर्वाचन आयोग अभिप्रेत है ;

(ङ) "विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य" से नियत दिन के ठीक पूर्व यथाविद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य अभिप्रेत है ;

(च) "विधि" के अंतर्गत विद्यमान संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य या उसके किसी भाग में नियत दिन के ठीक पूर्व विधि का बल रखने वाली कोई अधिनियमिति, अध्यादेश, विनियम, आदेश, उपविधि, नियम, स्कीम, अधिसूचना या अन्य लिखत भी है ;

(छ) "अधिसूचित आदेश" से राजपत्र में प्रकाशित कोई आदेश अभिप्रेत है ;

(ज) "जनसंख्या अनुपात" से, आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य के संबंध में, 2011 की जनगणना के अनुसार 58.32 : 41.68 का अनुपात अभिप्रेत है ;

(झ) "आसीन सदस्य" से, संसद् के या विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के विधान-मंडल के किसी सदन के संबंध में, ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो नियत दिन के ठीक पूर्व उस सदन का सदस्य है ;

(ञ) "उत्तरवर्ती राज्य" से, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में, आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य अभिप्रेत है ;

(ट) "अंतरित राज्यक्षेत्र" से वह राज्यक्षेत्र अभिप्रेत है जो नियत दिन को विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना राज्य को अंतरित किया गया है ;

(ठ) "खजाना" के अंतर्गत उपखजाना भी है ; और

(ड) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के किसी जिले, मंडल, तहसील, तालुक या अन्य प्रादेशिक खंड के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह नियत दिन को उस प्रादेशिक खंड के भीतर समावि-ट क्षेत्र के प्रति निर्देश है ।

भाग 2

आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन

तेलंगाना राज्य का बनाया जाना ।

3. नियत दिन से ही एक नया राज्य बनाया जाएगा, जिसका नाम तेलंगाना राज्य होगा, जिसमें विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के निम्नलिखित राज्यक्षेत्र समावि-ट होंगे, अर्थात् :—

आदिलाबाद, करीमनगर, मेडक, निजामाबाद, वारंगल, रंगारेड्डी, नालगोंडा, महबूबनगर, खम्माम और हैदराबाद जिले,

और तदुपरि उक्त राज्यक्षेत्र विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के भाग नहीं रहेंगे ।

आंध्र प्रदेश राज्य और उसके प्रादेशिक खंड ।

4. नियत दिन से ही, आंध्र प्रदेश राज्य में विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के धारा 3 में विनिर्दि-ट राज्यक्षेत्रों से भिन्न राज्यक्षेत्र समावि-ट होंगे ।

तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए हैदराबाद का सामान्य राजधानी होना ।

5. (1) नियत दिन से ही, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य में हैदराबाद, ऐसी अवधि के लिए जो दस व-र् से अधिक की नहीं होगी, तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य की सामान्य राजधानी होगी ।

(2) उपधारा (1) में निर्दि-ट अवधि के अवसान पर, हैदराबाद तेलंगाना राज्य की राजधानी होगी और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नई राजधानी होगी ।

स्प-टीकरण--इस भाग में, सामान्य राजधानी के अन्तर्गत हैदराबाद नगर निगम अधिनियम, 1955 के अधीन बृहत्तर हैदराबाद नगर निगम के रूप में अधिसूचित विद्यमान क्षेत्र आता है । 1956 का हैदराबाद अधिनियम सं0 2

आंध्र प्रदेश के लिए एक राजधानी का गठन करने के लिए

6. केन्द्रीय सरकार उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के लिए नई राजधानी के बारे में विभिन्न अनुकल्पों का अध्ययन करने के लिए तथा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अधिनियमन की तारीख से पैंतालीस दिन से अनधिक की अवधि में समुचित सिफारिशें करने

विशे-ाज्ञ समिति । के लिए एक विशे-ाज्ञ समिति का गठन करेगी ।

विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल का सामान्य राज्यपाल होना ।

7. नियत दिन से ही, विद्यमान आंध्र प्रेदश राज्य का राज्यपाल ऐसी अवधि के लिए, जो रा-ट्रपति द्वारा अवधारित की जाए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के लिए राज्यपाल होगा ।

हैदराबाद की सामान्य राजधानी के निवासियों की संरक्षा करने का राज्यपाल का उत्तरायित्व ।

8. (1) नियत दिन से ही, सामान्य राजधानी क्षेत्र के प्रशासन के प्रयोजनों के लिए, राज्यपाल का, उन सभी के, जो ऐसे क्षेत्र में निवास करते हैं, प्राण, स्वतंत्रता और संपत्ति की सुरक्षा करने का विशे-ा उत्तरदायित्व होगा ।

(2) विशि-टतया, राज्यपाल के उत्तरदायित्व का उन वि-ायों तक जैसे कि विधि व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और महत्वपूर्ण संस्थापनों की सुरक्षा और सामान्य राजधानी क्षेत्र में सरकारी भवनों के प्रबंधन और आबंटन तक विस्तार किया जाएगा ।

(3) राज्यपाल, कृत्यों के निर्वहन में, मंत्रि-परि-ाद् से परामर्श करने के पश्चात्, की जाने वाली कार्रवाई के बारे में अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करेगा :

परन्तु यदि इस बारे में कोई प्रश्न उद्भूत होता है कि यह वि-ाय इस संबंध में ऐसा वि-ाय है या नहीं, जिसके अधीन राज्यपाल से इस उपधारा के अधीन अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करने की अपेक्षा की जाती है, राज्यपाल का उसके विवेकानुसार किया गया विनिश्चय अंतिम होगा और राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात की विधिमान्यता को इस आधार पर प्रश्नगत नहीं किया जाएगा कि उसे अपने व्यक्तिगत निर्णय का प्रयोग करते हुए किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए ।

(4) राज्यपाल को केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दो सलाहकार सहायता प्रदान करेंगे ।

केन्द्रीय सरकार से उत्तरवर्ती राज्यों को पुलिस बलों की सहायता, आदि ।

9. (1) केन्द्रीय सरकार, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों को अतिरिक्त पुलिस बल जुटाने में सहायता प्रदान करेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, नियत दिन से ही, तीन व-र् की अवधि के लिए हैदराबाद में ग्रे-हाउंड प्रशिक्षण केन्द्र का अनुरक्षण और प्रशासन करेगी जो उत्तरवर्ती राज्यों के लिए सामान्य प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में कार्य करेगा और उक्त अवधि के अवसान पर हैदराबाद में विद्यमान ग्रे-हाउंड प्रशिक्षण केन्द्र तेलंगाना का प्रशिक्षण केन्द्र हो जाएगा ।

(3) केन्द्रीय सरकार, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य को, एक ऐसा ही प्रति-ठापूर्ण प्रशिक्षण केन्द्र का, ऐसे स्थान पर, जो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार आदेश द्वारा अधिसूचित करे, गठन किए जाने में सहायता प्रदान करेगी ।

(4) केन्द्रीय सरकार, ग्रे-हाउन्डों के लिए नए प्रचालन केन्द्रों (हब) का ऐसे अवस्थानों पर, जो उत्तरवर्ती राज्य आदेश द्वारा अधिसूचित करें, गठन् करने में वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ।

(5) विद्यमान आंध्र प्रदेश के ग्रे-हाउन्डों और ओक्टोपस बलों के कार्मिकों से विकल्प की ईप्सा करने के पश्चात्, उत्तरवर्ती राज्यों के बीच वितरित किया जाएगा और इन बलों में प्रत्येक बल नियत दिन को या उसके पश्चात् उत्तरवर्ती राज्यों के संबधित महानिदेशक के अधीन कार्य करेगा ।

संविधान की पहली अनुसूची का संशोधन ।

10. नियत दिन से ही, संविधान की पहली अनुसूची में, "I. राज्य" शी-र्क के अधीन,—

(क) आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यक्षेत्रों से संबंधित पैरा में, "आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 की द्वितीय अनुसूची में" शब्दों, को-ठकों और अंकों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

1959 का 56

"तथा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 3 में";

(ख) प्रवि-टि 28 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रवि-टि अंतःस्थापित की जाएगी,

अर्थात् :--

"29. तेलंगाना : वे राज्यक्षेत्र जो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 3 में विनिर्दि‍ट हैं ।"।

राज्य सरकार की व्यावृत्त शक्तियां ।

11. इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह आंध्र प्रदेश सरकार या तेलंगाना सरकार की, नियत दिन के पश्चात् राज्य के किसी जिले या अन्य प्रादेशिक खंड के नाम, क्षेत्र या सीमाओं में परिवर्तन करने की शक्ति को प्रभावित करती है ।

भाग 3

विधान-मंडलों में प्रतिनिधित्व

राज्य सभा

संविधान की चौथी अनुसूची का संशोधन ।

12. नियत दिन से ही संविधान की चौथी अनुसूची की सारणी में,--

(क) प्रवि‍ि‍ट 1 में, "18" अंकों के स्थान पर, "11" अंक रखे जाएंगे ;

(ख) प्रवि‍ि‍ट 2 से प्रवि‍ि‍ट 30 तक को क्रमशः प्रवि‍ि‍ट 3 से प्रवि‍ि‍ट 31 तक के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ;

(ग) प्रवि‍ि‍ट 1 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रवि‍ि‍ट अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

"2. तेलंगाना ....7"।

आसीन सदस्यों का आबंटन ।

13. (1) नियत दिन से ही, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य सभा के अठारह आसीन सदस्य इस अधिनियम की पहली अनुसूची में विनिर्दि‍ट रूप में आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य को आबंटित स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किए गए समझे जाएंगे ।

(2) ऐसे आसीन सदस्यों की पदावधि अपरिवर्तित बनी रहेगी ।

लोक सभा

लोक सभा में प्रतिनिधित्व ।

14. नियत दिन से ही, लोक सभा में उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य को 25 स्थान और उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य को 17 स्थान आबंटित किए जाएंगे और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की प्रथम अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जाएगी । 1950 का 43

संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन ।

15. नियत दिन से ही, संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 2008 का इस अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निर्दि‍ट रूप में संशोधित हो जाएगा ।

आसीन सदस्यों के बारे में उपबंध ।

16. (1) ऐसे किसी निर्वाचन-क्षेत्र का, जो नियत दिन को, धारा 14 के उपबंधों के आधार पर सीमाओं में परिवर्तन सहित या उसके बिना, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्यों को आबंटित हो गया है, प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के प्रत्येक आसीन सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस प्रकार यथा आबंटित उस निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित हुआ है ।

(2) ऐसे आसीन सदस्यों की पदावधि अपरिवर्तित बनी रहेगी ।

विधान सभा

विधान सभाओं के बारे में उपबंध ।

17. (1) उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की विधान सभाओं में स्थानों की संख्या नियत दिन से ही क्रमशः 175 और 119 होगी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य का राज्यपाल, संविधान के अनुच्छेद 333 के अनुसार आंग्ल-भारतीय समुदाय को प्रतिनिधित्व देने के लिए उत्तरवर्ती राज्यों की विधान सभाओं में एक-एक सदस्य को नामनिर्देशित कर सकेगा ।

(3) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की द्वितीय अनुसूची में, "I. राज्य" शीर्-ाक के अधीन,–– 1950 का 43

(क) प्रवि-िट 1 में, "294" अंकों के स्थान पर, "175" अंक रखे जाएंगे ;

(ख) प्रवि-िट 25 से प्रवि-िट 28 तक को क्रमशः प्रवि-िट 26 से प्रवि-िट 29 तक के रूप में पुनःसंख्यांकित किया जाएगा ;

(ग) प्रवि-िट 24 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रवि-िट अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :––

1	5
"25. तेलंगाना	119"।

आसीन सदस्यों का आबंटन ।

18. (1) ऐसे किसी निर्वाचन-क्षेत्र से, जो धारा 17 के उपबंधों के आधार पर नियत दिन को, सीमाओं में परिवर्तन सहित या उसके बिना, तेलंगाना राज्य को आबंटित हो गया है, आंध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा में किसी स्थान को भरने के लिए निर्वाचित उस सभा के प्रत्येक आसीन सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस दिन से ही आंध्र प्रदेश की विधान सभा का सदस्य नहीं रह गया है और उसे इस प्रकार आबंटित उस निर्वाचन-क्षेत्र से तेलंगाना की अंतःकालीन विधान सभा में स्थान को भरने के लिए निर्वाचित हुआ समझा जाएगा ।

(2) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा के सभी आसीन सदस्य उस राज्य की विधान सभा के सदस्य बने रहेंगे और किसी ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र का, जिसके विस्तार या नाम का धारा 17 के उपबंधों के आधार पर परिवर्तन हो गया है, प्रतिनिधित्व करने वाले किसी ऐसे आसीन सदस्य के बारे में यह समझा जाएगा कि वह आंध्र प्रदेश की विधान सभा के लिए इस प्रकार यथा परिवर्तित उस निर्वाचन-क्षेत्र से निर्वाचित हुआ है ।

(3) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की विधान सभाओं के बारे में यह समझा जाएगा कि वे नियत दिन को सम्यक् रूप से गठित की गई हैं ।

तेलंगाना की अंतःकालीन विधान सभा की संरचना ।

19. (1) नियत दिन से ही और तब तक जब तक उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य की विधान सभा का सम्यक् रूप से गठन नहीं हो जाता और उसे संविधान के उपबंधों के अधीन प्रथम सत्र के अधिवेशन के लिए आहूत नहीं कर लिया जाता है, तेलंगाना राज्य की अंतःकालीन विधान सभा का, जो धारा 3 के उपबंधों के आधार पर अंतरित राज्यक्षेत्रों के सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा के 119 आसीन सदस्यों से मिलकर बनेगी, गठन किया जाएगा ।

(2) विद्यमान आंध्र प्रदेश की विधान सभा के सदस्यों को, जिन्हें आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस सभा में अनुच्छेद 333 के अधीन नामनिर्दि-ट किया गया है, तेलंगाना की अंतःकालीन विधान सभा में उस समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए उस अनुच्छेद के अधीन नामनिर्दि-ट किया गया समझा जाएगा ।

(3) तेलंगाना राज्य की अंतःकालीन विधान सभा उस राज्य की विधान सभा को संविधान के उपबंधों द्वारा प्रदत्त सभी शक्तियों का प्रयोग और सभी कर्तव्यों का पालन करेगी ।

(4) तेलंगाना राज्य की अंतःकालीन विधान सभा के सदस्यों की पदावधि, जब तक कि उक्त विधान सभा का उससे पहले विघटन न हो जाए, तेलंगाना राज्य की विधान सभा के पहले अधिवेशन के ठीक पूर्व समाप्त हो जाएगी ।

विधान सभाओं की अवधि ।

20. आंध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा और तेलंगाना राज्य की अंतःकालीन विधान सभा की दशा में, अनुच्छेद 172 के खंड (1) में निर्दि-ट पांच व-र् की अवधि उस तारीख को प्रारंभ हुई समझी जाएगी, जिसको वह विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा की दशा में वस्तुतः प्रारंभ हुई है ।

21. (1) वह व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा का अध्यक्ष है, उस दिन से ही उस सभा का अध्यक्ष बना रहेगा । अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ।

(2) नियत दिन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य की अंतःकालीन विधान सभा, उस सभा के दो सदस्यों को क्रमशः उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनेगी और जब तक उनको इस प्रकार चुना नहीं जाता तब तक अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन उस सभा के ऐसे सदस्य द्वारा किया जाएगा, जिसको राज्यपाल इस प्रयोजन के लिए नियुक्त करे ।

प्रक्रिया के नियम । **22.** नियत दिन के ठीक पूर्व यथाप्रवृत्त आंध्र प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम, जब तक अनुच्छेद 208 के खंड (1) के अधीन नियम बनाए नहीं जाते हैं, तेलंगाना की विधान सभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम ऐसे उपांतरणों और अनुकूलनों के अधीन रहते हुए होंगे, जो उसके अध्यक्ष द्वारा उनमें किए जाएं ।

विधान परि-ादें

उत्तरवर्ती राज्यों के लिए अन्तःकालीन विधान परि-ाद् । **23.** (1) प्रत्येक उत्तरवर्ती राज्य के लिए संविधान के अनुच्छेद 169 में अन्तर्वि-ट उपबंधों के अनुसार एक-एक विधान परि-ाद् का गठन किया जाएगा, जिनमें आंध्र प्रदेश विधान परि-ाद् 50 से अनधिक सदस्यों से और तेलंगाना राज्य विधान परि-ाद् 40 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी ।

(2) जब तक उत्तरवर्ती राज्यों के लिए विधान परि-ादों का सम्यक् रूप से गठन् नहीं हो जाता तब तक आंध्र प्रदेश राज्य की विद्यमान विधान परि-ाद् को, नियत दिन से ही, उत्तरवर्ती राज्यों की दो अन्तःकालीन परि-ादों के रूप में गठित किया गया समझा जाएगा और विद्यमान सदस्यों को चौथी अनुसूची में विनिर्दि-ट रूप में अंतःकालीन परि-ाद् को आबंटित किया जाएगा ।

उत्तरवर्ती राज्यों के लिए विधान परि-ाद् । **24.** (1) नियत दिन से ही, आंध्र प्रदेश विधान परि-ाद् में 50 स्थान होंगे, और तेलंगाना विधान परि-ाद् में 40 स्थान होंगे ।

(2) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में,-- 1950 का 43

(i) तृतीय अनुसूची में,--

(क) विद्यमान प्रवि-ि 1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रवि-ि रखी जाएगी, अर्थात् :--

1	2	3	4	5	6	7
"1. आंध्र प्रदेश	50	17	5	5	17	6"।

(ख) प्रवि-ि 7 के पश्चात् निम्नलिखित प्रवि-ि अन्तःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :--

1	2	3	4	5	6	7
"7क. तेलंगाना	40	14	3	3	14	6"।

(ii) चतुर्थ अनुसूची में, "तमिलनाडु" शीर्-ा और उनसे संबंधित प्रवि-ियों के पश्चात्, निम्नलिखित शीर्-ा और प्रवि-ियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :--

"तेलंगाना

1. नगर निगम ;
2. नगर पालिकाएं ;
3. नगर पंचायतें ;
4. छावनी बोर्ड ;

5. जिला प्रजा परि-ादें ;

6. मंडल प्रजा परि-ादें ।"।

25. नियत दिन से ही, परि-ाद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (आंध्र प्रदेश) आदेश, 2006 तीसरी अनुसूची में निदेशित रूप में संशोधित हो जाएगा । परि-ाद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश का संशोधन ।

26. नियत दिन के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की विधान परि-ादें, संबंधित परि-ादों से एक-एक ऐसा सदस्य चुनेगी जो परि-ाद् का अध्यक्ष होगा । सभापति ।

निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन

27. (1) निर्वाचन आयोग, धारा 17 के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से,— निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन ।

(क) संविधान के सुसंगत उपबंधों को ध्यान में रखते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य की विधान सभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए क्रमशः आरक्षित किए जाने वाले स्थानों की संख्या का अवधारण करेगा ;

(ख) उन सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का, जिनमें खंड (क) में निर्दि-ट प्रत्येक राज्य को विभाजित किया जाएगा, ऐसे निर्वाचन-क्षेत्रों में से प्रत्येक के विस्तार का और उनका, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाएंगे, अवधारण करेगा ; और

(ग) खंड (क) में निर्दि-ट प्रत्येक राज्य में और संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों की सीमाओं में ऐसे समायोजन और विस्तार के वर्णन का अवधारण करेगा, जो आवश्यक या समीचीन हो ।

(2) उपधारा (1) के खंड (ख) और (ग) में निर्दि-ट वि-ायों का अवधारण करने में, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित उपबंधों को ध्यान में रखेगा, अर्थात् :--

(क) सभी निर्वाचन-क्षेत्र एकल सदस्यीय निर्वाचन-क्षेत्र होंगे ;

(ख) सभी निर्वाचन-क्षेत्र, यथासाध्य, भौगोलिक रूप से संहृत क्षेत्र होंगे और उनका परिसीमन करने में उनकी भौतिक विशि-टताओं, प्रशासनिक इकाइयों की विद्यमान सीमाओं, संचार की सुविधाओं और सार्वजनिक सुख-सुविधाओं का ध्यान रखना होगा ; और

(ग) वे निर्वाचन-क्षेत्र, जिनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित किए जाते हैं, यथासाध्य, उन क्षेत्रों में अवस्थित होंगे, जिनमें कुल जनसंख्या के अनुपात में उनकी जनसंख्या सर्वाधिक हो ।

(3) निर्वाचन आयोग, उपधारा (1) के अधीन अपने कृत्यों के पालन में अपनी सहायता के प्रयोजन के लिए अपने साथ सहयुक्त सदस्यों के रूप में ऐसे पांच व्यक्तियों को सहयुक्त करेगा, जो केंद्रीय सरकार, आदेश द्वारा विनिर्दि-ट करे और वे ऐसे व्यक्ति होंगे, जो उस राज्य की विधान सभा के या राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले लोक सभा के सदस्य हों :

परंतु सहयुक्त सदस्यों में से किसी को मत देने का या निर्वाचन आयोग के किसी विनिश्चय पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं होगा ।

(4) यदि किसी सहयुक्त सदस्य का पद मृत्यु या पदत्याग के कारण रिक्त हो जाता है तो वह, यथासाध्य, उपधारा (3) के उपबंधों के अनुसार भरा जाएगा ।

(5) निर्वाचन आयोग,—

(क) निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए अपनी प्रस्थापनाएं, किसी ऐसे सहयुक्त

सदस्य की, जो उनके प्रकाशन की वांछा करता है, विसम्मत प्रस्थापनाओं सहित, यदि कोई हों, राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से, जो आयोग ठीक समझे, ऐसी सूचना के साथ प्रकाशित करेगा, जिसमें प्रस्थापनाओं के संबंध में आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए हों और वह तारीख विनिर्दि-ट की गई हो, जिसको या जिसके पश्चात् प्रस्थापनाओं पर उसके द्वारा आगे विचार किया जाएगा ;

(ख) उन सभी आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा, जो उसे इस प्रकार विनिर्दि-ट तारीख के पूर्व प्राप्त हुए हों ;

(ग) ऐसे सभी आक्षेपों और सुझावों पर, जो उसे इस प्रकार विनिर्दि-ट तारीख के पूर्व प्राप्त हुए हों, विचार करने के पश्चात्, एक या अधिक आदेशों द्वारा, निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन अवधारित करेगा और ऐसे आदेश या आदेशों को राजपत्र में प्रकाशित करवाएगा,

और ऐसे प्रकाशन पर वह आदेश या वे आदेश विधि का पूर्ण बल रखेंगे और उसे या उन्हें किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ।

(6) सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से संबंधित ऐसा प्रत्येक आदेश, ऐसे प्रकाशन के पश्चात्, यथाशीघ्र संबंधित राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा ।

परिसीमन आदेशों को अद्यतन रखने की निर्वाचन आयोग की शक्ति ।

28. (1) निर्वाचन आयोग, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा,—

(क) धारा 27 के अधीन किए गए किसी आदेश में किन्हीं मुद्रण संबंधी भूलों को या अनवधानता से हुई भूल या लोप के कारण उसमें हुई किसी गलती को ठीक कर सकेगा ;

(ख) जहां ऐसे किसी आदेश या किन्हीं आदेशों में उल्लिखित किसी प्रादेशिक खंड की सीमाओं या नाम में परिवर्तन किया जाता है, वहां ऐसे संशोधन कर सकेगा, जो उसे ऐसे आदेश को अद्यतन करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों ।

(2) किसी सभा निर्वाचन-क्षेत्र के संबंध में इस धारा के अधीन प्रत्येक अधिसूचना, उसके जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संबंधित विधान सभा के समक्ष रखी जाएगी ।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां

अनुसूचित जातियां आदेश का संशोधन ।

29. नियत दिन से ही, संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का इस अधिनियम की पांचवीं अनुसूची में निदि-ट रूप में संशोधन हो जाएगा ।

अनुसूचित जनजातियां आदेश का संशोधन ।

30. नियत दिन से ही, संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का इस अधिनियम की छठी अनुसूची में निदि-ट रूप में संशोधन हो जाएगा ।

भाग 4

उच्च न्यायालय

आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना किए जाने तक हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय का सामान्य उच्च न्यायालय होना ।

31. (1) नियत दिन से ही,—

(क) तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य के लिए हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय, इस अधिनियम की धारा 32 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 214 के अधीन आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक पृथक् उच्च न्यायालय का गठन किए जाने तक, सामान्य उच्च न्यायालय होगा ;

(ख) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के लिए, हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश, जो नियत दिन के ठीक पूर्व पद धारण कर रहे हैं, उसी दिन से सामान्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे ।

(2) सामान्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों की बाबत व्यय का आबंटन आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य के बीच जनसंख्या अनुपात आधार के अनुसार किया जाएगा ।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ।

32. (1) धारा 31 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए, एक पृथक् उच्च न्यायालय होगा (जिसे इसमें इसके पश्चात् आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय कहा गया है) और हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय, तेलंगाना राज्य के लिए उच्च न्यायालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय कहा गया है) हो जाएगा ।

(2) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का प्रधान स्थान ऐसे स्थान पर होगा, जो रा-ट्रपति, अधिसूचित आदेश द्वारा, नियत करे ।

(3) उपधारा (2) में अंतर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और खंड न्यायालय आंध्र प्रदेश राज्य में उसके प्रधान स्थान से भिन्न ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर बैठकें कर सकेंगे, जिन्हें मुख्य न्यायमूर्ति, आंध्र प्रदेश के राज्यपाल के अनुमोदन से, नियत करे ।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ।

33. (1) हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश, जो आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना की तारीख के ठीक पूर्व, जो रा-ट्रपति द्वारा अवधारित की जाए, पद धारण कर रहे हों, उस तारीख से हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहेंगे और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाएंगे ।

(2) वे व्यक्ति, जो उपधारा (1) के आधार पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो जाते हैं, उस दशा के सिवाय, जहां ऐसा कोई व्यक्ति उस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त किया जाता है, उस न्यायालय में हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में अपनी-अपनी नियुक्तियों की पूर्विकता के अनुसार रैंक धारण करेंगे ।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की अधिकारिता ।

34. आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को, आंध्र प्रदेश राज्य में सम्मिलित राज्यक्षेत्रों के किसी भाग की बाबत, ऐसी सभी अधिकारिता, शक्तियां और प्राधिकार प्राप्त होंगे, जो धारा 31 की उपधारा (1) में निर्दि-ट तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि के अधीन उक्त राज्यक्षेत्रों के उस भाग की बाबत हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य थे ।

विधिज्ञ परि-ाद् और अधिवक्ताओं के संबंध में विशे-ा उपबंध ।

35. (1) धारा 31 की उपधारा (1) में निर्दि-ट तारीख से ही, अधिवक्ता अधिनियम,
1961 का 25 1961 की धारा 3 की उपधारा (1) के खंड (क) में, "राजस्थान, उत्तर प्रदेश" शब्दों के स्थान पर, "राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश" शब्द रखे जाएंगे ।

(2) ऐसा व्यक्ति, जो धारा 31 की उपधारा (1) में निर्दि-ट तारीख से ठीक पूर्व विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य की विधिज्ञ परि-ाद् की नामावली में अधिवक्ता है और हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में विधि व्यवसाय कर रहा है, उस तारीख से एक व-र् के भीतर ऐसे विद्यमान राज्य की विधिज्ञ परि-ाद् की नामावली में अपने नाम को अंतरित किए
1961 का 25 जाने का लिखित में विकल्प दे सकेगा और अधिवक्ता अधिनियम, 1961 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में किसी बात के होते हुए भी, इस प्रकार दिए गए ऐसे विकल्प पर उसका नाम तेलंगाना विधिज्ञ परि-ाद् की नामावली में उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रयोजन के लिए इस प्रकार दिए गए विकल्प की तारीख से अंतरित किया गया समझा जाएगा ।

(3) ऐसे अधिवक्ताओं से भिन्न व्यक्तियों को, जो धारा 31 की उपधारा (1) में निर्दि-ट तारीख के ठीक पूर्व हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय या उसके अधीनस्थ न्यायालय में विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार हैं, उस तारीख को या उसके पश्चात्, यथास्थिति, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय या उसके किसी अधीनस्थ न्यायालय में विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार व्यक्तियों के रूप में मान्यता दी जाएगी ।

(4) आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार ऐसे सिद्धांतों के अनुसार विनियमित होगा, जो धारा 31 की उपधारा (1) में निर्दि-ट तारीख के ठीक पूर्व हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय में सुनवाई के अधिकार की बाबत प्रवृत्त है ।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया ।

36. हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया की बाबत धारा 31 की उपधारा (1) में निर्दि-ट तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, इस भाग के उपबंधों के अधीन रहते हुए, आवश्यक उपांतरणों सहित, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होगी और

तदनुसार आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को पद्धति और प्रक्रिया की बाबत नियम बनाने और आदेश करने की ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी, जो उस तारीख के ठीक पूर्व हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य हैं :

परंतु ऐसे कोई नियम या आदेश, जो हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया की बाबत धारा 31 की उपधारा (1) के ठीक पूर्व प्रवृत्त हैं, जब तक आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों द्वारा परिवर्तित या प्रतिसंहृत नहीं कर दिए जाते, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया की बाबत आवश्यक उपांतरणों सहित इस प्रकार लागू होंगे, मानो वे उस न्यायालय द्वारा बनाए गए हों या किए गए हों ।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की मुद्रा की अभिरक्षा ।

37. हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय की मुद्रा की अभिरक्षा के संबंध में धारा 31 की उपधारा (1) के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपांतरणों सहित, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की मुद्रा की अभिरक्षा के संबंध में लागू होगी ।

रिटों और अन्य आदेशिकाओं का प्ररूप ।

38. हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली, जारी की जाने वाली या दी जाने वाली रिटों तथा अन्य आदेशिकाओं के प्ररूप की बाबत धारा 31 की उपधारा (1) में निर्दि-ट तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपांतरणों सहित, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली, जारी की जाने वाली या दी जाने वाली रिटों तथा अन्य आदेशिकाओं के प्ररूप के संबंध में लागू होगी ।

न्यायाधीशों की शक्तियां ।

39. हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, एकल न्यायाधीश और खंड न्यायालयों की शक्तियों के सबंध में और उन शक्तियों के प्रयोग के आनु-ंगिक सभी वि-ायों के संबंध में, धारा 31 की उपधारा (1) में निर्दि-ट तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपांतरणों सहित, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होगी ।

उच्चतम न्यायालय को अपीलों के बारे में प्रक्रिया ।

40. हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय तथा उसके न्यायाधीशों और खंड न्यायालयों से उच्चतम न्यायालय को अपीलों के संबंध में, धारा 31 की उपधारा (1) में निर्दि-ट तारीख के ठीक पूर्व प्रवृत्त विधि, आवश्यक उपांतरणों सहित, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के संबंध में लागू होगी ।

हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को कार्यवाहियों का अंतरण ।

41. (1) इसमें इसके पश्चात् जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय की, धारा 31 की उपधारा (1) में निर्दि-ट तारीख से ही, आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में कोई अधिकारिता नहीं होगी ।

(2) धारा 31 की उपधारा (1) में निर्दि-ट तारीख के ठीक पूर्व हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय में लंबित ऐसी कार्यवाहियां, जो उस दिन से पूर्व या पश्चात् उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा वाद हेतुक उत्पन्न होने के स्थान पर और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसी कार्यवाहियों के रूप में प्रमाणित की जाएं, जिनकी सुनवाई और विनिश्चय आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, ऐसे प्रमाणीकरण के पश्चात् यथाशक्य आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को अंतरित हो जाएंगे ।

(3) इस धारा की उपधारा (1) और उपधारा (2) या धारा 34 में किसी बात के होते हुए भी, किंतु इसमें इसके पश्चात् जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय को अपीलों, उच्चतम न्यायालय की इजाजत के लिए आवेदनों, पुनर्विलोकन और ऐसी अन्य कार्यवाहियों के लिए आवेदनों, जिनमें ऐसी किन्हीं कार्यवहियों में धारा 31 की उपधारा (1) में निर्दि-ट तारीख के पूर्व हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी आदेश के संबंध में कोई अनुतो-ा मांगा गया है, को ग्रहण करने, सुनवाई करने या उनका निपटारा करने की अधिकारिता होगी और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को नहीं होगी :

परंतु हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय द्वारा ऐसी कार्यवाहियों को ग्रहण किए जाने के पश्चात् उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को यह प्रतीत होता है कि उन कार्यवाहियों को आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को अंतरित किया जाना चाहिए, तो वह यह आदेश करेगा कि वे इस प्रकार अंतरित की जाएं और ऐसी कार्यवाहियां उसके पश्चात् तदनुसार अंतरित हो जाएंगी ।

(4) हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय द्वारा,--

(क) धारा 31 की उपधारा (1) में निर्दि-ट तारीख के पूर्व, उपधारा (2) के आधार पर आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को अंतरित किन्हीं कार्यवाहियों में, या

(ख) ऐसी कार्यवाहियों में, जिनकी बाबत हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय को उपधारा (3) के आधार पर अधिकारिता रही है,

किया गया कोई आदेश सभी प्रयोजनों के लिए हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय के आदेश के रूप में ही प्रभावी नहीं रहेगा, बल्कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के रूप में भी प्रभावी रहेगा ।

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को अंतरित कार्यवाहियों में उपसंजात होने या कार्यवाही करने का अधिकार ।

42. ऐसे किसी व्यक्ति को, जो धारा 31 की उपधारा (1) में निर्दि-ट तारीख के ठीक पूर्व हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय में विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार अधिवक्ता है या उसमें विधि व्यवसाय करने के लिए कोई अन्य हकदार व्यक्ति है और जो धारा 41 के अधीन उस उच्च न्यायालय से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को अंतरित कार्यवाहियों में उपसंजात होने के लिए प्राधिकृत था, उन कार्यवाहियों के संबंध में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में उपसंजात होने का अधिकार होगा ।

निर्वचन ।

43. धारा 41 के प्रयोजनों के लिए,--

(क) किसी न्यायालय में कार्यवाहियां तब तक लंबित समझी जाएंगी, जब तक उस न्यायालय द्वारा पक्षकारों के बीच सभी विवाद्यकों का, जिनके अंतर्गत कार्यवाहियों के खर्चे की बाबत कोई विवाद्यक भी हैं, निपटारा नहीं कर दिया जाता है और उसके अंतर्गत अपीलें, उच्चतम न्यायालय को अपील करने की इजाजत के लिए आवेदन, पुनर्विलोकन के लिए आवेदन, पुनरीक्षण के लिए अर्जियां और रिट याचिकाएं हैं ; और

(ख) किसी उच्च न्यायालय के प्रति निर्देशों का अर्थ यह लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत किसी न्यायाधीश या खंड न्यायालय के प्रति निर्देश हैं और किसी न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा किए गए किसी आदेश के प्रति निर्देशों का अर्थ यह लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत उस न्यायालय या न्यायाधीश द्वारा किए गए किसी दंडादेश, पारित निर्णय या डिक्री के प्रति निर्देश है ।

व्यावृत्तियां ।

44. इस भाग की कोई बात संविधान के किन्हीं उपबंधों के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को लागू होने पर प्रभाव नहीं डालेगी और इस भाग का प्रभाव किसी ऐसे उपबंध के अधीन रहते हुए होगा, जो धारा 31 की उपधारा (1) में निर्दि-ट तारीख को या उसके पश्चात् उस उच्च न्यायालय की बाबत किसी विधान-मंडल या ऐसा उपबंध करने की शक्ति रखने वाले किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा किया जाए ।

भाग 5

व्यय का प्राधिकृत किया जाना और राजस्व का वितरण

तेलंगाना राज्य के व्यय को प्राधिकृत किया जाना ।

45. विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का राज्यपाल, नियत दिन के पूर्व किसी भी समय, तेलंगाना राज्य की संचित निधि में से ऐसा व्यय प्राधिकृत कर सकेगा, जो वह तेलंगाना राज्य की विधान सभा द्वारा ऐसे व्यय की मंजूरी के लंबित रहने तक, नियत दिन से आरंभ होने वाली छह मास से अनधिक की किसी अवधि के लिए आवश्यक समझे :

परंतु तेलंगाना का राज्यपाल, नियत दिन के पश्चात् तेलंगाना राज्य की संचित निधि में से ऐसा अतिरिक्त व्यय, ऐसी किसी अवधि के लिए, जो छह मास की उक्त अवधि के परे की नहीं होगी, जो वह आवश्यक समझे, प्राधिकृत कर सकेगा ।

आंध्र प्रदेश राज्य के लेखाओं से संबंधित रिपोर्टें ।

46. (1) नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत अनुच्छेद 151 के खंड (2) में निर्दि-ट भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के लेखाओं से संबंधित रिपोर्टों को प्रत्येक उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाएगा, जो उनको उस राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा ।

(2) रा-ट्रपति, आदेश द्वारा,--

(क) वित्तीय व-र् के दौरान नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत या

किसी पूर्वतर वित्तीय व–र् की बाबत किसी सेवा पर आंध्र प्रदेश की संचित निधि में से उपगत ऐसे किसी व्यय को, जो उस सेवा के लिए और उस व–र् के लिए अनुदत्त रकम के, जैसा वह उपधारा (1) में निर्दि–ट रिपोर्टों में प्रकट किया गया हो, आधिक्य में हो, सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया घो–ित कर सकेगा ; और

(ख) उक्त रिपोर्टों से उद्‌भूत किसी वि–ाय पर की जाने वाली किसी कार्रवाई का उपबंध कर सकेगा ।

राजस्व का वितरण ।

47. (1) तेरहवें वित्त आयोग द्वारा विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य को दिए गए राजस्व को केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तरवर्ती राज्यों के बीच जनसंख्या अनुपात तथा अन्य सन्नियमों के आधार पर प्रभाजित किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश के पास उपलब्ध स्रोतों को ध्यान में रखते हुए, उस राज्य को समुचित अनुदान दे सकेगी ।

भाग 6

आस्तियों और दायित्वों का प्रभाजन

भाग का लागू होना ।

48. (1) इस भाग के उपबंध विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य की नियत दिन के ठीक पूर्व की आस्तियों और दायित्वों के प्रभाजन के संबंध में लागू होंगे ।

(2) उत्तरवर्ती राज्य उन फायदों को, जो विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा किए गए विनिश्चयों से उद्‌भूत हों, प्राप्त करने के हकदार होंगे और उत्तरवर्ती राज्य, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा किए गए विनिश्चयों से उद्‌भूत दायित्वों को वहन करने के दायी होंगे ।

(3) आस्तियों और दायित्वों का प्रभाजन ऐसे वित्तीय समायोजन के अधीन होगा जो उत्तरवर्ती राज्यों के बीच आस्तियों और दायित्वों के न्यायोचित, युक्तियुक्त और साम्यापूर्ण प्रभाजन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हों ।

(4) वित्तीय आस्तियों और दायित्वों की रकम के संबंध में किसी विवाद का निपटारा आपसी करार से, और उसमें असफल रहने पर केंद्रीय सरकार द्वारा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह पर, आदेश द्वारा, किया जाएगा ।

भूमि और माल ।

49. (1) इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य से संबद्ध सब भूमि और सब समान, वस्तुएं और अन्य माल,––

(क) यदि अंतरित राज्यक्षेत्र के भीतर हों, तो तेलंगाना राज्य को संक्रांत हो जाएंगे ; अथवा

(ख) किसी अन्य मामले में, आंध्र प्रदेश राज्य की संपत्ति बने रहेंगे :

परन्तु संपत्तियों के विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के बाहर स्थित होने की दशा में, ऐसी संपत्तियों को उत्तरवर्ती राज्यों के बीच जनसंख्या अनुपात के आधार पर प्रभाजित किया जाएगा :

परंतु यह और कि जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि किसी माल या किसी वर्ग के माल का वितरण आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच, माल की अवस्थिति के अनुसार न होकर अन्यथा होना चाहिए, वहां केंद्रीय सरकार माल के न्यायोचित और साम्यापूर्ण वितरण के लिए ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो वह ठीक समझे और वह माल तदनुसार उत्तरवर्ती राज्यों को संक्रांत हो जाएगा :

परंतु यह भी कि इस उपधारा के अधीन किसी माल या माल के किसी वर्ग के वितरण के संबंध में कोई विवाद होने की दशा में, केंद्रीय सरकार ऐसे विवाद का निपटारा उस प्रयोजन के लिए उत्तरवर्ती राज्यों की सरकारों के बीच हुए आपसी करार के माध्यम से करने का प्रयास करेगी, ऐसा करने में असफल रहने पर केंद्रीय सरकार उत्तरवर्ती राज्यों की सरकारों में से किसी के द्वारा किए गए अनुरोध पर, उत्तरवर्ती राज्यों की सरकारों से परामर्श करने के पश्चात्, इस धारा के अधीन, यथास्थिति, ऐसे माल या माल के ऐसे वर्ग के वितरण के लिए ऐसा निदेश जारी कर सकेगी, जो वह ठीक समझे ।

(2) विनिर्दि-ट प्रयोजनों के लिए, जैसे कि विशि-ट संस्थाओं, कर्मशालाओं या उपक्रमों में या सन्निर्माणाधीन विशे-ा संकर्मों पर प्रयोग या उपयोग के लिए रखा हुआ सामान उन उत्तरवर्ती राज्यों को संक्रान्त हो जाएगा, जिनके राज्यक्षेत्र में ऐसी संस्थाएं, कर्मशालाएं, उपक्रम या संकर्म अवस्थित हों ।

(3) सचिवालय से और संपूर्ण विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य पर अधिकारिता रखने वाले विभागाध्यक्षों के कार्यालयों से संबंधित सामान को उत्तरवर्ती राज्यों के बीच जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया जाएगा ।

(4) इस धारा में "भूमि" पद के अन्तर्गत प्रत्येक प्रकार की स्थावर संपत्ति तथा ऐसी संपत्ति में या उस पर के कोई अधिकार हैं और "भूमि" पद के अन्तर्गत सिक्के, बैंक नोट तथा करेंसी नोट नहीं आते हैं ।

खजाना और बैंक अतिशे-ा ।

50. नियत दिन के ठीक पूर्व, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के सभी खजानों के नकद अतिशे-ों और भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या किसी अन्य बैंक के पास विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के जमा अतिशे-ों के योग का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच विभाजन जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाएगा :

परन्तु ऐसे विभाजन के प्रयोजनों के लिए नकद अतिशे-ों का किसी एक खजाने से दूसरे खजाने को कोई अंतरण नहीं किया जाएगा और प्रभाजन भारतीय रिजर्व बैंक की बहियों में नियत दिन को दोनों राज्यों के जमा अतिशे-ों को समायोजित करके किया जाएगा :

परन्तु यह और कि यदि नियत दिन को तेलंगाना राज्य का भारतीय रिजर्व बैंक में कोई खाता नहीं है, तो समायोजन ऐसी रीति से किया जाएगा, जैसे केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, निदेश दे ।

करों की बकाया ।

51. संपत्ति पर कर या शुल्क की बकाया को, जिसके अन्तर्गत भू-राजस्व की बकाया भी है, वसूल करने का अधिकार उस उत्तरवर्ती राज्य का होगा जिसमें वह संपत्ति स्थित है, और किसी अन्य कर या शुल्क की बकाया की वसूली का अधिकार उस उत्तरवर्ती राज्य का होगा जिसके राज्यक्षेत्रों में नियत दिन को उस कर या शुल्क के निर्धारण का स्थान सम्मिलित किया जाता है ।

उधारों और अग्रिमों को वसूल करने का अधिकार ।

52. (1) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का उस राज्य के भीतर किसी क्षेत्र में किसी स्थानीय निकाय सोसाइटी, कृ-ाक या अन्य व्यक्ति को नियत दिन के पूर्व दिए गए किन्हीं उधारों या अग्रिमों की वसूली का अधिकार उस उत्तरवर्ती राज्य का होगा जिसमें उस दिन वह क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है ।

(2) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का उस राज्य के बाहर के किसी व्यक्ति या संस्था को, नियत दिन के पूर्व दिए गए उधारों या अग्रिमों को वसूल करने का अधिकार आंध्र प्रदेश राज्य का होगा :

परन्तु किसी ऐसे उधार या अग्रिम की बाबत वसूल की गई किसी राशि का विभाजन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच जनसंख्या के अनुपात के अनुसार किया जाएगा ।

कतिपय निधियों में विनिधान और जमा ।

53. (1) सातवीं अनुसूची में यथाविनिर्दि-ट विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के नकद अतिशे-ा विनिधान लेखा या लोक लेखा के किसी निधि से किए गए विनिधानों की बाबत धारित प्रतिभूतियों का प्रभाजन, उत्तरवर्ती राज्यों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाएगा :

परन्तु विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य को आपदा राहत निधि में से किए गए विनिधानों में धारित प्रतिभूतियों को उत्तरवर्ती राज्य के अधिभोगाधीन राज्यक्षेत्रों के क्षेत्र के अनुपात में विभाजित किया जाएगा ।

(2) नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के किसी ऐसी विशे-ा निधि में विनिधान, जिसके उद्देश्य किसी स्थानीय क्षेत्र तक सीमित हैं, उस राज्य के होंगे, जिसमें नियत दिन को वह क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है :

परन्तु विद्यमान राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में स्थित बहुल इकाइयों पर ऐसी विशे-ा निधियों में के विनिधानों को, और ऐसे भाग आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों के राज्यक्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं, उत्तरवर्ती राज्यों के बीच जनसंख्या अनुपात के आधार पर प्रभाजित किया जाएगा ।

(3) नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के किसी प्राइवेट, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम में के ऐसे विनिधान, जिनके उद्देश्य किसी स्थानीय क्षेत्र तक सीमित हैं, उस उत्तरवर्ती राज्य से संबंधित होंगे जिसमें ऐसा क्षेत्र नियत दिन को सम्मिलित किया जाता है :

परन्तु ऐसी इकाइयों में, जिनकी विद्यमान राज्य के भिन्न-भिन्न भागों में स्थित बहुल इकाइयां हैं और ऐसे भाग आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना राज्यों के राज्यक्षेत्रों के अन्तर्गत आते हैं, विनिधानों को उत्तरवर्ती राज्यों के बीच जनसंख्या अनुपात के आधार पर प्रभाजित किया जाएगा ।

(4) जहां भाग 2 के उपबंधों के आधार पर, किसी केन्द्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के अधीन विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य या उसके किसी भाग के लिए गठित कोई निगमित निकाय अंतरराज्यिक निगमित निकाय हो जाता है, वहां, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा नियत दिन के पूर्व किसी ऐसे निगमित निकाय में के विनिधानों या उसे दिए गए उधारों या अग्रिमों का विभाजन, इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अभिव्यक्त रूप से अन्यथा उपबंधित के सिवाय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच उसी अनुपात में किया जाएगा, जिसमें उस निगमित निकाय की आस्तियों का इस भाग के उपबंधों के अधीन विभाजन किया जाता है ।

राज्य उपक्रम की आस्तियां और दायित्व ।

54. (1) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के किसी वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम से संबंधित आस्तियां और दायित्व, जहां ऐसा उपक्रम या उसका कोई भाग अनन्य रूप से किसी स्थानीय क्षेत्र में अवस्थित है या उसका प्रचालन उस तक सीमित है, उसके मुख्यालय की अवस्थिति को विचार में लिए बिना उस राज्य को संक्रान्त हो जाएंगे जिसमें वह क्षेत्र नियत दिन को सम्मिलित किया गया है :

परन्तु जहां ऐसे उपक्रम का प्रचालन भाग 2 के उपबंधों के आधार पर अन्तरराज्यिक बन जाता है, वहां––

(क) उस उपक्रम की प्रचालन इकाइयों की आस्तियों और दायित्वों का प्रभाजन उत्तरवर्ती राज्यों के बीच अवस्थिति के आधार पर किया जाएगा ;

(ख) उस उपक्रम के मुख्यालय की आस्तियों और दायित्वों का प्रभाजन उत्तरवर्ती राज्यों के बीच जनसंख्या अनुपात के आधार पर किया जाएगा ।

(2) आस्तियों और दायित्वों के प्रभाजन पर, ऐसी आस्तियों और दायित्वों को पारस्परिक करार पर अथवा ऐसे किसी अन्य ढंग के माध्यम से, जो उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा करार पाया जाए, संदाय या समायोजन करके भौतिक रूप में अन्तरित किया जाएगा ।

लोक ऋण ।

55. (1) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के लोक ऋण और लोक लेखा मद्दे ऐसे सभी दायित्वों का प्रभाजन, जो नियत दिन के ठीक पूर्व बकाया थे, जब तक कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन प्रभाजन का कोई भिन्न ढंग उपबंधित न हो, उत्तरवर्ती राज्यों की जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा ।

(2) उत्तरवर्ती राज्यों को आबंटित किए जाने वाले दायित्वों की विभिन्न मदें और एक उत्तरवर्ती राज्य द्वारा दूसरे उत्तरवर्ती राज्य को किए जाने वाले अपेक्षित अभिदाय की रकम वह होगी जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की सलाह पर, आदि-ट की जाए :

परन्तु ऐसे आदेश जारी किए जाने तक, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के लोक ऋण और लोक लेखा मद्धे दायित्व उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के दायित्व बने रहेंगे ।

(3) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य किसी भी स्रोत से लिए गए उधार और ऐसी इकाइयों को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दि-ट की जाएं, और जिनका प्रचालन क्षेत्र दोनों में से किसी उत्तरवर्ती राज्य तक सीमित है, पुनः उधार देने मद्धे दायित्व उपधारा (4) में यथाविनिर्दि-ट संबंधित राज्य को न्यागत हो जाएगा ।

(4) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का लोक ऋण, जो उन उधारों के कारण माना जा सकता है जो किसी विनिर्दि-ट संख्या को पुनः उधार देने के अभिव्यक्त प्रयोजनार्थ किसी स्रोत से लिए गए हों और नियत दिन के ठीक पूर्व बकाया हों--

(क) यदि किसी स्थानीय क्षेत्र में के किसी स्थानीय निकाय, निगमित निकाय या अन्य संस्था को पुनः उधार दिया गया हो तो वह उस राज्य का ऋण होगा जिसमें नियत दिन को वह स्थानीय क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है ; या

(ख) यदि किसी अन्य ऐसे निगम या संस्था को, जो नियत दिन को अन्तरराज्यिक निगम या संस्था बन जाता है, पुनः उधार दिया गया हो तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में उसका विभाजन उसी अनुपात में किया जाएगा जिसमें ऐसे निगमित निकाय या ऐसी संस्था की आस्तियों का विभाजन भाग 7 के उपबंधों के अधीन किया जाता है ।

(5) जहां विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा कोई निक्षेप निधि या अवक्षयण निधि उसके द्वारा लिए गए किसी उधार के प्रतिसंदाय के लिए रखी गई हो, वहां उस निधि में से किए गए विनिधानों की बाबत धारित प्रतिभूतियों का उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में विभाजन उसी अनुपात में किया जाएगा जिसमें इस धारा के अधीन दोनों राज्यों के बीच संपूर्ण लोक ऋण का विभाजन किया जाता है ।

(6) इस धारा में, "सरकारी प्रतिभूति" पद से कोई ऐसी प्रतिभूति अभिप्रेत है जो लोक ऋण लेने के लिए राज्य सरकार द्वारा सृजित और जारी की गई है और जो लोक ऋण अधिनियम, 1944 की धारा 2 के खंड (2) में विनिर्दि-ट या उसके अधीन विहित प्ररूपों में से किसी प्ररूप की है । (1944 का 18)

प्लवमान ऋण ।

56. किसी स्थानीय निकाय, निगमित निकाय या अन्य संस्था की लघु अवधि के वित्तपो-ाण का उपबंध करने के लिए किसी प्लवमान ऋण की बाबत विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के सभी दायित्वों का अवधारण निम्नलिखित आधार पर किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) यदि, प्लवमान ऋण के प्रयोजन, नियत दिन से ही, किसी भी उत्तरवर्ती राज्य के अनन्य प्रयोजन हैं, तो उस राज्य के दायित्व होंगे ;

(ख) किसी अन्य दशा में, उन्हें जनसंख्या अनुपात के आधार पर विभाजित किया जाएगा ।

आधिक्य में संगृहीत करों का प्रतिदाय ।

57. (1) संपत्ति पर संगृहीत आधिक्य किसी कर या शुल्क का, जिसके अन्तर्गत भू-राजस्व भी है, प्रतिदाय करने का विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का दायित्व उस उत्तरवर्ती राज्य का दायित्व होगा, जिसके राज्यक्षेत्रों में वह संपत्ति अवस्थित है तथा संगृहीत आधिक्य किसी अन्य कर या शुल्क का प्रतिदाय करने का विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का दायित्व उस उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच जनसंख्या अनुपात के आधार पर प्रभाजित किया जाएगा और ऐसे दायित्व का उन्मोचन करने वाला राज्य दूसरे राज्य दायित्व के अपने हिस्से को, यदि कोई हो, प्राप्त करने का हकदार होगा ।

(2) नियत दिन को संपत्ति पर संगृहीत आधिक्य किसी अन्य कर या शुल्क का विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का दायित्व उस उत्तरवर्ती राज्य का दायित्व होगा, जिसने राज्यक्षेत्रों में ऐसे कर या शुल्क के निर्धारण का स्थान सम्मिलित किया गया है और विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का संगृहीत आधिक्य किसी अन्य कर या शुल्क का प्रतिदाय करने के दायित्व का प्रभाजन उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच जनसंख्या अनुपात के आधार पर प्रभाजित किया जाएगा और अपने दायित्व का उन्मोचन करने वाला राज्य दूसरे राज्य से अपने दायित्व के अपने हिस्से को, यदि कोई हो, प्राप्त करने का हकदार होगा ।

निक्षेप, आदि ।

58. (1) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का किसी सिविल निक्षेप या स्थानीय निधि निक्षेप की बाबत दायित्व नियत दिन से उस उत्तरवर्ती राज्य का दायित्व होगा जिसके क्षेत्र में निक्षेप किया गया है ।

(2) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का किसी पूर्त या अन्य विन्यास की बाबत नियत दिन से उस उत्तरवर्ती राज्य का दायित्व होगा जिसके क्षेत्र में विन्यास का फायदा पाने की हकदार संस्था अवस्थित है या उस उत्तरवर्ती राज्य का होगा जिस तक विन्यास के उद्देश्य, उसके निबंधनों के अधीन सीमित हैं :

परन्तु नियत दिन के पूर्व संपूर्ण राज्य पर अधिकारिता रखने वाले विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा बनाए रखे गए कोई सिविल निक्षेपों या ऋण निधियों या पूर्त अथवा अन्य विन्यास निधियों को उत्तरवर्ती राज्यों के बीच जनसंख्या अनुपात के आधार पर प्रभाजित किया जाएगा ।

भवि-य निधि ।

59. नियत दिन को सेवारत किसी सरकारी सेवक के भवि-य निधि खाते की बाबत विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का दायित्व, उस दिन से उस उत्तरवर्ती राज्य का दायित्व होगा जिसे वह सरकारी सेवक स्थायी रूप से आबंटित किया गया हो ।

पेंशन ।

60. पेंशनों की बाबत विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का दायित्व, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों को या उसका उनके बीच इस अधिनियम की आठवीं अनुसूची में अन्तर्वि-ट उपबंधों के अनुसार संक्रान्त होगा या उनका प्रभाजन किया जाएगा ।

संविदाएं ।

61. (1) जहां विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य ने अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करते हुए राज्य के किन्हीं प्रयोजनों के लिए कोई संविदा नियत दिन के पूर्व की हो वहां वह संविदा,--

(क) यदि संविदा के प्रयोजन, नियत दिन से ही, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में से किसी के अनन्य प्रयोजन हों, तो उस राज्य की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में की गई समझी जाएगी और दायित्व का उन्मोचन उस राज्य द्वारा किया जाएगा ; और

(ख) किसी अन्य दशा में उन सभी अधिकारों तथा दायित्वों को, जो ऐसी किसी संविदा के अधीन प्रोद्भूत हुए हैं या प्रोद्भूत हों, उत्तरवर्ती राज्यों के बीच जनसंख्या अनुपात के आधार पर या ऐसी किसी अन्य रीति में, जो उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा करार पाई जाएं, प्रभाजित किया जाएगा :

(2) इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ऐसे दायित्वों के अन्तर्गत, जो किसी संविदा के अधीन प्रोद्भूत हुए हैं या प्रोद्भूत हों,--

(क) उस संविदा से संबंधित कार्यवाहियों में किसी न्यायालय या अन्य अधिकरण द्वारा किए गए किसी आदेश या अधिनिर्णय की तु-िट करने का कोई दायित्व ; और

(ख) ऐसी किन्हीं कार्यवाहियों में या उनके संबंध में उपगत व्ययों की बाबत कोई दायित्व,

भी सम्मिलित समझा जाएगा ।

(3) यह धारा इस भाग के उधारों, प्रत्याभूतियों और अन्य वित्तीय बाध्यताओं की बाबत दायित्वों के प्रभाजन से संबंधित अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी, और बैंक अतिशे-ा और प्रतिभूतियों के वि-ाय में कार्यवाही, उनके संविदात्मक अधिकारों की प्रकृति के होते हुए भी उन उपबंधों के अधीन की जाएगी ।

अनुयोज्य दो-ा की बाबत दायित्व ।

62. जहां, नियत दिन के ठीक पूर्व, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य संविदा भंग से भिन्न किसी अनुयोज्य दो-ा की बाबत किसी दायित्व के अधीन हैं, वहां,--

(क) वह दायित्व, उस दशा में, जब वाद-हेतुक पूर्णतया उन राज्यक्षेत्रों के भीतर उद्भूत हुआ है, जो उस दिन से उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्यों में से किसी

के राज्यक्षेत्र हैं, उस उत्तरवर्ती राज्य का दायित्व होगा ; और

(ख) वह दायित्व किसी अन्य दशा में, उत्तरवर्ती राज्यों के बीच जनसंख्या अनुपात के आधार पर या ऐसी किसी अन्य रीति में, जो उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा करार पाई जाए, प्रभाजित किया जाएगा ।

63. जहां, नियत दिन के ठीक पूर्व, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य किसी रजिस्ट्रीकृत सहकारी सोसाइटी या अन्य व्यक्ति के किसी दायित्व के बारे में प्रत्याभूतिदाता के रूप में दायी हो वहां,-- प्रत्याभूतिदाता के रूप में दायित्व ।

(क) वह दायित्व उस दशा में, यदि उस सोसाइटी या व्यक्तियों का कार्यक्षेत्र उन राज्यक्षेत्रों तक सीमित है जो उस दिन से आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्यों में से किसी के राज्यक्षेत्र हैं, उस राज्य का दायित्व होगा ; और

(ख) वह दायित्व, किसी अन्य दशा में, उत्तरवर्ती राज्यों के बीच जनसंख्या अनुपात के आधार पर या ऐसी किसी अन्य रीति में, जो उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा करार पाई जाए, प्रभाजित किया जाएगा ।

64. यदि किसी उचंत मद के बारे में अंततोगत्वा यह पाया जाता है कि उसका इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी में निर्दि-ट प्रकार की किसी आस्ति या दायित्व पर प्रभाव पड़ता है तो उसके संबंध में उस उपबंध के अनुसार कार्यवाही की जाएगी । उचंत मदें ।

65. विद्यमान आंध्र प्रदेश की किसी ऐसी आस्ति का फायदा या दायित्व का भार, जिसके बारे में इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में कोई उपबंध नहीं है, प्रथमतः आंध्र प्रदेश राज्य को, ऐसे वित्तीय समायोजन के अधीन रहते हुए जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच करार पाया जाए, या ऐसे करार के अभाव में, जैसे केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, निदेश दे, संक्रांत हो जाएगा । अवशि-ट उपबंध ।

66. जहां उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच यह करार पाया जाता है कि किसी विशि-ट आस्ति के फायदे या दायित्व के भाग का उनके बीच प्रभाजन ऐसी रीति से किया जाना चाहिए जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों में उपबंधित रीति से भिन्न है, वहां उनमें अन्तर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी, उस आस्ति के फायदे या दायित्व के भार का प्रभाजन उस रीति से किया जाएगा, जो करार पाई जाए । आस्तियों या दायित्व का करार द्वारा प्रभाजन ।

67. जहां, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में से कोई भी, इस भाग के उपबंधों में से किसी के आधार पर, किसी संपत्ति का हकदार हो जाता है या कोई फायदा अभिप्राप्त कर लेता है या किसी दायित्व के अधीन हो जाता है और नियत दिन से तीन व-र्ा की अवधि के भीतर दोनों में से किसी राज्य द्वारा निर्देश किए जाने पर केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि यह न्यायसंगत और साम्यापूर्ण है कि वह संपत्ति या वे फायदे दूसरे उत्तरवर्ती राज्य को अन्तरित किए जाने चाहिए, वहां उक्त संपत्ति या फायदों का आबंटन दोनों राज्यों के बीच ऐसी रीति से किया जाएगा या दूसरा राज्य उस राज्य को, जो उस दायित्व के अधीन है, उसके बारे में ऐसा अभिदाय करेगा, जो केन्द्रीय सरकार, दोनों राज्य सरकारों से परामर्श के पश्चात्, आदेश द्वारा, अवधारित करे । कतिपय मामलों में आबंटन या समायोजन का आदेश करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

68. इस अधिनियम के उपबंधों के आधार पर, यथास्थिति, आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा या तेलंगाना राज्य द्वारा अन्य राज्यों को या केन्द्रीय सरकार द्वारा उत्तरवर्ती राज्यों को संदेय सभी राशियां, यथास्थिति, उस राज्य की संचित निधि पर, जिसके द्वारा ऐसी राशियां संदेय हो, या भारत की संचित निधि पर, भारित होंगी । कतिपय व्यय का संचित निधि पर भारित होना ।

भाग 7

कतिपय निगमों के बारे में उपबंध

69. (1) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के लिए गठित नवीं अनुसूची में विनिर्दि-ट कंपनियां और निगम नियत दिन से ही उन क्षेत्रों में, जिनकी बाबत उस दिन के ठीक पूर्व वे कार्य कर विभिन्न कंपनियों और निगमों के बारे में उपबंध ।

रहे थे, इस धारा के उपबंधों के अधीन कार्य करते रहेंगे ।

(2) उपधारा (1) में निर्दि-ट कंपनियों और निगमों की आस्तियों, अधिकारों तथा दायित्वों को उत्तरवर्ती राज्यों के बीच धारा 54 में उपबंधित रीति में प्रभाजित किया जाएगा ।

विद्युत शक्ति के उत्पादन और प्रदाय तथा जल के प्रदाय के बारे में व्यवस्थाओं का बना रहना ।

70. यदि केन्द्रीय सरकार को यह प्रतीत होता है कि किसी क्षेत्र के लिए विद्युत शक्ति के उत्पादन या प्रदाय या जल प्रदाय के बारे में या ऐसे उत्पादन या प्रदाय के लिए किसी परियोजना के नि-पादन के बारे में व्यवस्था का उस क्षेत्र के लिए अहितकर रूप में उपांतरण इस तथ्य के कारण हो गया है या उपांतरण होने की संभावना है कि वह क्षेत्र भाग 2 के उपबंधों के आधार पर उस राज्य से बाहर हो गया है, जिसमें, यथास्थिति, ऐसी शक्ति के उत्पादन और प्रदाय के लिए विद्युत केन्द्र और अन्य संस्थापन अथवा जल प्रदाय के लिए जलागम क्षेत्र, जलाशय और अन्य संकर्म स्थित हैं, तो केन्द्रीय सरकार, जहां कहीं आवश्यक हो, उत्तरवर्ती राज्यों की सरकारों से परामर्श करने के पश्चात्, पहले वाली व्यवस्था को, जहां तक साध्य हो, बनाए रखने के लिए ऐसे निदेश, जो वह उचित समझे, राज्य सरकार या अन्य संबद्ध प्राधिकारी को दे सकेगी ।

आंध्र प्रदेश राज्य वित्तीय निगम के बारे में उपबंध ।

71. (1) राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अधीन स्थापित आंध्र प्रदेश राज्य वित्तीय निगम नियत दिन से ही, उन क्षेत्रों में, जिनके संबंध में वह उस दिन के ठीक पूर्व कार्य कर रहा था, इस धारा के उपबंधों तथा ऐसे निदेशों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, जारी किए जाएं, कार्य करता रहेगा । 1951 का 63

(2) उपधारा (1) के अधीन निगम के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किन्हीं निदेशों के अन्तर्गत ऐसा निदेश भी हो सकेगा कि उक्त अधिनियम निगम के प्रति उसके लागू होने में, ऐसे अपवादों तथा उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा, जो निदेश में विनिर्दि-ट किए जाएं ।

(3) उपधारा (1) या उपधारा (2) में अन्तर्वि-ट किसी बात के होते हुए भी, निगम का निदेशक बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से नियत दिन के पश्चात् किसी समय निगम के, यथास्थिति, पुनर्गठन या पुनर्संगठन् या विघटन की किसी स्कीम के, जिसके अन्तर्गत नए निगमों के बनाए जाने और विद्यमान निगम की आस्तियां, अधिकार तथा दायित्व उन्हें अंतरित किए जाने के बारे में प्रस्थापनाएं भी हैं, विचारार्थ अधिवेशन बुला सकेगा और यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए तो बुलाएगा और यदि ऐसी कोई स्कीम उपस्थित और मत देने वाले शेयरधारकों के बहुमत से साधारण अधिवेशन में पारित संकल्प द्वारा अनुमोदित कर दी जाती है तो वह स्कीम केन्द्रीय सरकार को उसकी मंजूरी के लिए प्रस्तुत की जाएगी ।

(4) यदि स्कीम केन्द्रीय सरकार द्वारा उपांतरणों के बिना या ऐसे उपांतरणों के सहित, जो साधारण अधिवेशन् में अनुमोदित किए जाते हैं, मंजूर कर ली जाती है तो केन्द्रीय सरकार, स्कीम को प्रमाणित करेगी और ऐसे प्रमाणन पर वह स्कीम, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, उस स्कीम द्वारा प्रभावित निगमों पर तथा उनके शेयर धारकों और लेनदारों पर भी आबद्धकर होगी ।

(5) यदि स्कीम इस प्रकार अनुमोदित या मंजूर नहीं की जाती है तो केन्द्रीय सरकार इस स्कीम को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को, जो उसके मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा इस निमित्त नामनिर्देशित किया जाए, निर्देशित कर सकेगी और उस स्कीम के बारे में न्यायाधीश का विनिश्चय अंतिम होगा और स्कीम द्वारा प्रभावित निगमों पर तथा उनके शेयर धारकों और लेनदारों पर भी आबद्धकर होगा ।

(6) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबंधों की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य की सरकार को, नियत दिन को या उसके पश्चात्, किसी समय राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 के अधीन उस राज्य के लिए किसी राज्य वित्तीय निगम का गठन् करने से निवारित करने वाली है । 1951 का 63

कतिपय कंपनियों के बारे में उपबंध ।

72. इस भाग में किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम की नवीं अनुसूची में विनिर्दि-ट कंपनियों में से प्रत्येक के लिए--

(क) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के हितों और शेयरों का उत्तरवर्ती राज्यों के बीच

विभाजन के बारे में ;

(ख) कंपनी के निदेशक बोर्ड के पुनर्गठन् की अपेक्षा करने के लिए, जिससे सभी उत्तरवर्ती राज्यों को यथोचित प्रतिनिधित्व दिया जा सके,

निदेश जारी कर सकेगी ।

कतिपय विद्यमान सड़क परिवहन अनुज्ञा पत्रों के चालू रहने के बारे में अस्थायी उपबंध ।

1988 का 59 **73.** (1) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 89 में किसी बात के होते हुए भी, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकारी या उस राज्य में किसी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा अनुदत्त अनुज्ञापत्र, यदि ऐसा अनुज्ञापत्र नियत दिन के ठीक पूर्व अंतरित राज्यक्षेत्र में किसी क्षेत्र में विधिमान्य और प्रभावी था, तत्समय उस क्षेत्र में प्रवृत्त इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस क्षेत्र में उस दिन के पश्चात् और उसकी विधिमान्यता की अवधि तक विधिमान्य और प्रभावी बना रहा समझा जाएगा और ऐसे किसी अनुज्ञापत्र को उस क्षेत्र में उपयोग के लिए उसे विधिमान्य करने के प्रयोजन के लिए तेलंगाना राज्य परिवहन प्राधिकारी या उसमें किसी प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जाना आवश्यक नहीं होगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, उन शर्तों में, जो अनुज्ञापत्र देने वाले प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञापत्र से संलग्न की गई हों, परिवर्धन, संशोधन या परिवर्तन उत्तरवर्ती राज्य सरकार या संबद्ध सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् कर सकेगी ।

(2) किसी ऐसे अनुज्ञापत्र के अधीन उत्तरवर्ती राज्यों में से किसी में किसी परिवहन यान को चलाने के लिए नियत दिन के पश्चात् उस परिवहन यान की बाबत कोई पथकर, प्रवेश फीस या वैसी ही प्रकृति के अन्य प्रभार उद्गृहीत नहीं किए जाएंगे यदि ऐसे यान को उस दिन के ठीक पूर्व अन्तरित राज्यक्षेत्र में चलाने के लिए ऐसे किसी पथकर, प्रवेश फीस या अन्य प्रभारों के संदाय से छूट प्राप्त हो :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, ऐसे पथकर, प्रवेश फीस या अन्य प्रभारों के उद्ग्रहण को संबद्ध राज्य सरकार या सरकारों से परामर्श करने के पश्चात् प्राधिकृत कर सकेगी :

परन्तु यह और कि इस उपधारा के उपबंध वहां लागू नहीं होंगे जहां ऐसे पथकर, प्रवेश फीस या इसी प्रकार के अन्य प्रभार ऐसी किसी सड़क या पुल के उपयोग के लिए उदग्रहणीय हैं, जिसका सन्निर्माण या विकास वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, राज्य सरकार के किसी उपक्रम द्वारा ऐसे संयुक्त उपक्रम द्वारा जिसमें राज्य सरकार एक शेयरधारक है या प्राइवेट सेक्टर द्वारा किया गया है ।

कतिपय मामलों में छंटनी प्रतिकर से संबंधित विशे-ा उपबंध ।

74. जहां किसी केन्द्रीय अधिनियम, राज्य अधिनियम या प्रांतीय अधिनियम के अधीन गठित कोई निगमित निकाय, सरकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी विधि के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सहकारी सोसाइटी या उस राज्य का कोई वाणिज्यिक या औद्योगिक उपक्रम, इस अधिनियम के अधीन विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के कारण किसी भी रीति से पुनर्गठित या पुनर्संगठित किया जाता है या किसी अनन्य निगमित निकाय, सहकारी सोसाइटी या उपक्रम में समामेलित किया जाता है या विघटित किया जाता है और ऐसे पुनर्गठन, पुनर्संगठन, समामेलन या विघटन के परिणामस्वरूप ऐसे निगमित निकाय या किसी ऐसी सहकारी सोसाइटी या ऐसे उपक्रम द्वारा नियोजित किसी कर्मकार को किसी अन्य निगमित निकाय को या किसी अन्य सहकारी सोसाइटी या उपक्रम को स्थानांतरित या उसके
1947 का 14 द्वारा पुनर्नियोजित किया जाता है वहां औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25च या धारा 25चच या धारा 25चचच में विनिर्दि-ट किसी बात के होते हुए भी, ऐसा स्थानांतरण या पुनर्नियोजन उसे उस धारा के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं बनाएगा :

परन्तु यह तब तक कि--

(क) ऐसे स्थानांतरण या पुनर्नियोजन के पश्चात् कर्मकार को लागू होने वाले सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसे स्थानांतरण या पुनर्नियोजन के ठीक पूर्व कर्मकार को लागू होने वाले निबंधनों और सेवा-शर्तों से कम अनुकूल न हों ;

(ख) उस निगमित निकाय, सहकारी सोसाइटी या उपक्रम से, जहां कर्मकार को स्थानांतरित या पुनर्नियोजित हो, संबंधित नियोजक, करार द्वारा या अन्यथा उस कर्मकार को, उसकी छंटनी की दशा में, इस आधार पर कि उसकी सेवा चालू रही है और स्थानांतरण या पुनर्नियोजन द्वारा उसमें बाधा नहीं पड़ी है, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25च या धारा 25चच या धारा 25चचच के अधीन विधिक रूप से प्रतिकर देने का दायी हो । 1947 का 14

आय-कर के बारे में विशे-ा उपबंध ।

75. जहां इस भाग के उपबंधों के अधीन कारबार चलाने वाले किसी निगमित निकाय की आस्तियां, अधिकार और दायित्व ऐसे किन्हीं अन्य निगमित निकायों को अन्तरित किए जाते हैं, जो अन्तरण के पश्चात् वही कारबार चलाते हों, वहां प्रथम वर्णित निगमित निकाय को हुई हानियां या लाभ या अभिलाभ, जिनका ऐसा अन्तरण न होने पर, आय-कर अधिनियम, 1961 के अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार अग्रनीत या मुजरा किया जाना अनुज्ञात कर दिया गया होता, केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार अंतरिती, निगमित निकायों के बीच प्रभाजित किए जाएंगे और ऐसे प्रभाजन पर, प्रत्येक अंतरिती निगमित निकाय को आबंटित हानि के अंश के संबंध में कार्यवाही उक्त अधिनियम के अध्याय 6 के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार की जाएगी मानो वे हानियां स्वयं अंतरिती निगमित निकाय को उसके द्वारा चलाए गए किसी कारबार में उन व-र्ाों में हुई हों जिनमें वे हानियां हुई थीं । 1961 का 43

कतिपय राज्य संस्थाओं में सुविधाओं का जारी रहना ।

76. (1) यथास्थिति, आंध्र प्रदेश राज्य की या तेलंगाना राज्य की सरकार इस अधिनियम की दसवीं अनुसूची में विनिर्दि-ट उन संस्थाओं की बाबत, जो उस राज्य में अवस्थित हैं, ऐसी सुविधाएं, जो किसी भी प्रकार से उन लोगों के लिए, जो उन्हें नियत दिन के पूर्व उपलब्ध कराई जा रही थीं, कम अनुकूल नहीं होंगी, ऐसी अवधि तक और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर जो दोनों राज्य सरकारों के बीच नियत दिन से एक व-र्ा की अवधि के भीतर करार पाई जाएं या यदि कोई करार नहीं किया जाता है तो उक्त अवधि तक जो केन्द्रीय सरकार के आदेश द्वारा नियत किया जाए उपलब्ध कराना जारी रखेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, नियत दिन से एक व-र्ा के भीतर किसी भी समय, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, उपधारा (1) में निर्दि-ट दसवीं अनुसूची में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में नियत दिन को विद्यमान किसी अन्य संस्था को विनिर्दि-ट कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के जारी किए जाने पर यह समझा जाएगा कि ऐसी अनुसूची का संशोधन उक्त संस्था को उसमें सम्मिलित करके किया गया है ।

भाग 8

सेवाओं के बारे में उपबंध

अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित उपबंध ।

77. (1) इस धारा में "राज्य काडर" पद का--

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के संबंध में वही अर्थ है जो भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर) नियम, 1954 में उसका है ;

(ख) भारतीय पुलिस सेवा के संबंध में वही अर्थ है जो भारतीय पुलिस सेवा (काडर) नियम, 1954 में उसका है ; और

(ग) भारतीय वन सेवा के संबंध में वही अर्थ है जो भारतीय वन सेवा (काडर) नियम, 1966 में उसका है ।

(2) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा,. भारतीय पुलिस सेवा और भारतीय वन सेवा के काडरों के स्थान पर, नियत दिन से ही, इन सेवाओं में से प्रत्येक की बाबत दो पृथक् काडर होंगे जिनमें से एक आंध्र प्रदेश राज्य के लिए और दूसरा तेलंगाना राज्य के लिए होगा ।

(3) उपधारा (2) में निर्दि-ट राज्य काडरों के अधिकारियों की अनंतिम सदस्य संख्या, संरचना और आबंटन ऐसा होगा जो केन्द्रीय सरकार, नियत दिन को या उसके पश्चात्,

आदेश द्वारा, अवधारित करे ।

(4) उक्त सेवाओं में से प्रत्येक के ऐसे सदस्य, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान आंध्र प्रदेश काडर में के थे, उपधारा (2) के अधीन गठित उसी सेवा के राज्य काडरों को ऐसी रीति से और ऐसी तारीख या तारीखों से आबंटित किए जाएंगे जो केन्द्रीय सरकार, आदेश द्वारा, विनिर्दि-ट करे ।

(5) इस धारा की कोई बात नियत दिन को या उसके पश्चात् अखिल भारतीय सेवा
1951 का 61 अधिनियम, 1951 या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रवर्तन पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी ।

अन्य सेवाओं से संबंधित उपबंध ।

78. (1) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवा कर रहा हो, उस दिन से ही तेलंगाना राज्य के कार्यकलापों के संबंध में अनंतिम रूप से सेवा करता रहेगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार के साधारण या विशे-ा आदेश द्वारा उससे अनंतिम रूप से आंध्र प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवा करने की अपेक्षा न की जाए :

परन्तु इस उपधारा के अधीन नियत दिन से एक व-र् की अवधि की समाप्ति के पश्चात् जारी प्रत्येक निदेश उत्तरवर्ती राज्यों की सरकारों के परामर्श से जारी किया जाएगा ।

(2) नियत दिन के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र, केन्द्रीय सरकार, साधारण या विशे-ा आदेश द्वार, उस उत्तरवर्ती राज्य का, जिसे उपधारा (1) में निर्दि-ट प्रत्येक व्यक्ति सेवा के लिए, कर्मचारियों से विकल्प की ईप्सा करने के पश्चात्, अंतिम रूप से आबंटित किया जाएगा और उस तारीख का, जिससे ऐसा आबंटन प्रभावी होगा या प्रभावी हुआ समझा जाएगा, अवधारण करेगी :

परन्तु आबंटन किए जाने के पश्चात् भी, केन्द्रीय सरकार, सेवा में किसी कमी को पूरा करने के लिए, अन्य राज्य सेवाओं के अधिकारियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रतिनियुक्त कर सकेगी :

परन्तु यह और कि जहां तक स्थानीय, जिला, आंचलिक और बहु-आंचलिक काडरों का संबंध है, कर्मचारी नियत दिन को या उसके पश्चात् उस काडर में सेवा करते रहेंगे :

परन्तु यह भी कि स्थानीय, जिला, आंचलिक और बहु-आंचलिक काडरों के कर्मचारी, जो संपूर्णतया उत्तरवर्ती राज्यों में से एक के अन्तर्गत आते हैं, उस उत्तरवर्ती राज्य को आबंटित किए गए समझे जाएंगे :

परन्तु यह भी कि यदि कोई विशि-ट आंचल या बहु-आंचल दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के अन्तर्गत आता है, तो उस आंचलिक या बहु-आंचलिक काडर के कर्मचारी अंतिम रूप से, एक या दूसरे उत्तरवर्ती राज्य को इस उपधारा के उपबंधों के सिद्धान्तों के अनुसार आबंटित किए जाएंगे ।

(3) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन अंतिम रूप से किसी उत्तरवर्ती राज्य को आबंटित किया जाता है, यदि वह पहले से उस राज्य में सेवा नहीं कर रहा है तो उस उत्तरवर्ती राज्य में, ऐसी तारीख से, जो संबद्ध सरकारों के बीच करार पाई जाए या ऐसे करार के अभाव में, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए, सेवा करने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार को इस धारा के अधीन जारी किए गए अपने आदेशों में से किसी का भी पुनर्विलोकन करने की शक्ति होगी ।

सेवाओं से संबंधित अन्य उपबंध ।

79. (1) इस धारा या धारा 78 की कोई बात, नियत दिन को या उसके पश्चात् संघ या किसी राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवा कर रहे व्यक्तियों की सेवा शर्तों के अवधारण के संबंध में संविधान के भाग 14 के अध्याय 1 के उपबंधों के प्रवर्तन पर प्रभाव डालने वाली नहीं समझी जाएगी :

परन्तु ऐसे किसी व्यक्ति की दशा में, जिसे धारा 78 के अधीन आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य को आबंटित किया गया समझा गया है, नियत दिन के ठीक पूर्व लागू होने वाली सेवा शर्तों में उसके लिए अहितकर परिवर्तन केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा ।

(2) किसी व्यक्ति द्वारा नियत दिन के पूर्व की गई सभी सेवाएं, उसकी सेवा शर्तो को विनियमित करने वाले नियमों के प्रयोजनों के लिए--

(क) यदि उसे धारा 78 के अधीन किसी राज्य को आबंटित किया गया समझा जाए तो उस राज्य के कार्यकलापों के संबंध में की गई सेवाएं समझी जाएंगी ;

(ख) यदि उसे तेलंगाना के प्रशासन के संबंध में संघ को आबंटित किया गया समझा जाए, तो संघ के कार्यकलापों के संबंध में की गई सेवाएं समझी जाएंगी ।

(3) धारा 78 के उपबंध किसी अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों के संबंध में लागू नहीं होंगे ।

अधिकारियों के उसी पद पर बने रहने के बारे में उपबंध ।

80. ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के संबंध में ऐसे किसी क्षेत्र में, जो उस दिन उत्तरवर्ती राज्यों में से किसी में आता है, किसी पद या अधिकार पद को धारण करता हो या उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता हो, उस उत्तरवर्ती राज्य में वही पद या अधिकार पद धारण करता रहेगा और उसी दिन से ही उस उत्तरवर्ती राज्य की सरकार द्वारा या उसमें के किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा उस पद या अधिकार पद पर सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया समझा जाएगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात किसी सक्षम प्राधिकारी को, नियत दिन से ही, ऐसे व्यक्ति के संबंध में उसके ऐसे पद या अधिकार पद पर बने रहने पर प्रभाव डालने वाला आदेश पारित करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी ।

सलाहकार समितियां ।

81. (1) केन्द्रीय सरकार,--

(क) इस भाग के अधीन अपने किसी कृत्य का निर्वहन करने ; और

(ख) इस भाग के उपबंधों द्वारा प्रभावित सभी व्यक्तियों के साथ ऋजु और साम्यापूर्ण व्यवहार को सुनिश्चित करने और ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए किन्हीं अभ्यावेदनों पर उचित रूप से विचार करने,

के संबंध में अपनी सहायता के प्रयोजनार्थ, आदेश द्वारा, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अधिनियमन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर एक या अधिक सलाहकार समितियां स्थापित कर सकेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा आबंटन संबंधी मार्गदर्शक सिद्धान्त आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अधिनियमन की तारीख को या उसके पश्चात् जारी किए जाएंगे और व्यष्टिक कर्मचारियों का वास्तविक आबंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा सलाहकार समिति की सिफारिशों पर किया जाएगा ।

निदेश देने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति ।

82. केन्द्रीय सरकार, आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार और तेलंगाना राज्य की सरकार को ऐसे निदेश दे सकेगी जो उसे इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हों और राज्य सरकारें ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगी ।

पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, आदि के कर्मचारियों के लिए उपबंध ।

83. नियत दिन से ही, राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, निगमों और अन्य स्वशासी निकायों के कर्मचारी ऐसे उपक्रम, निगम या स्वशासी निकायों में एक व-र्ा की अवधि तक कार्य करते रहेंगे और इस अवधि के दौरान संबंधित निगमित निकाय दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के बीच कार्मिकों के वितरण से संबंधित पद्धतियों का अवधारण करेगा ।

राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध ।

84. (1) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का लोक सेवा आयोग, नियत दिन से ही, आंध्र प्रदेश राज्य का लोक सेवा आयोग होगा ।

(2) उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य द्वारा संविधान के अनुच्छेद 315 के अनुसार लोक सेवा आयोग का गठन किए जाने तक, संघ लोक सेवा आयोग, रा-ट्रपति के अनुमोदन से उस अनुच्छेद के खंड (4) के निबंधनों के अनुसार तेलंगाना राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सहमत हो सकेगा ।

(3) नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य का पद धारण करने वाले व्यक्ति, नियत दिन से आंध्र प्रदेश राज्य के लोक सेवा आयोग का, यथास्थिति, अध्यक्ष या अन्य सदस्य होंगे ।

(4) ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उपधारा (3) के अधीन नियत दिन को आंध्र प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या अन्य सदस्य हो जाए,--

(क) आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार से सेवा की ऐसी शर्तें पाने का हकदार होगा जो उन शर्तों से कम अनुकूल नहीं होंगी, जिनका वह उसे लागू उपबंधों के अधीन हकदार था ;

(ख) अनुच्छेद 316 के खंड (2) के परन्तुक के अधीन रहते हुए, नियत दिन के ठीक पूर्व उसे लागू उपबंधों के अधीन यथा अवधारित उसकी पदावधि का अवसान होने तक पद धारण करने या धारण किए रहेगा ।

(5) आंध्र प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा नियत दिन के पूर्व की किसी अवधि की बाबत किए गए कार्य के बारे में आयोग की रिपोर्ट अनुच्छेद 323 की खंड (2) के अधीन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के राज्यपालों को प्रस्तुत की जाएगी और आंध्र प्रदेश राज्य का राज्यपाल ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति पर, जहां तक संभव हो उन दशाओं के संबंध में, यदि कोई हों, जहां आयोग की सलाह स्वीकार नहीं की गई थी, उसके इस प्रकार स्वीकार न किए जाने के लिए कारणों को स्प-ट करने संबंधी ज्ञापन के साथ उस रिपोर्ट की प्रति प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखवाएगा और तेलंगाना राज्य की विधान सभा के समक्ष ऐसी रिपोर्ट या किसी ऐसे ज्ञापन को रखवाना आवश्यक नहीं होगा ।

भाग 9

जल संसाधनों का प्रबंधन और विकास

गोदावरी और कृ-णा नदी जल संसाधनों और उनके प्रबंधन बोर्डों के लिए उच्चतर परि-ाद् ।

85. (1) नियत दिन से ही, केन्द्रीय सरकार गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड और कृ-णा नदी प्रबंधन बोर्ड के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने के लिए एक उच्चतर परि-ाद् का गठन करेगी ।

(2) उच्चतर परि-ाद् निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,--

(क) जल संसाधन मंत्री, भारत सरकार - अध्यक्ष ;

(ख) आंध्र प्रदेश राज्य का मुख्यमंत्री - सदस्य ;

(ग) तेलंगाना राज्य का मुख्यमंत्री - सदस्य ।

(3) उच्चतर परि-ाद् के कृत्यों में निम्नलिखित कृत्य आएंगे--

(i) गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड और कृ-णा नदी प्रबंधन बोर्ड के कार्यकरण का पर्यवेक्षण ;

(ii) नदी प्रबंधन बोर्डों और केन्द्रीय जल आयोग द्वारा, जहां कहीं अपेक्षित हो, प्रस्ताव का अंकन और उसकी सिफारिश किए जाने के पश्चात् गोदावरी या कृ-णा नदी जल पर आधारित नई परियोजनाओं के, यदि कोई हों, सन्निर्माण संबंधी योजना और प्रस्तावों का अनुमोदन ;

(iii) नदियों के जल में हिस्सा बांटे जाने से उद्भूत किसी विवाद का उत्तरवर्ती राज्यों के बीच बातचीत से और आपसी करार के माध्यम से सौहार्द्रपूर्ण निपटारा ;

(iv) कृ-णा जल विवाद अधिकरण के अन्तर्गत न आने वाले किन्हीं विवादों को,
1956 का 33 अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन गठित किए जाने वाले

किसी अधिकरण को निर्देश किया जाना ।

नदी प्रबंध बोर्ड का गठन और उसके कृत्य ।

86. (1) केन्द्रीय सरकार, ऐसी परियोजनाओं के, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाएं, प्रशासन, सन्निर्माण, अनुरक्षण और प्रचालन के लिए नियत दिन से साठ दिन की अवधि के भीतर गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड और कृ-णा नदी प्रबंधन बोर्ड के नाम से ज्ञात दो पृथक् बोर्डों का (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् बोर्ड कहा गया है) गठन करेगी ।

(2) गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड का मुख्यालय उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य में और कृ-णा नदी प्रबंधन बोर्ड का मुख्यालय उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य में अवस्थित होगा ।

(3) गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड और कृ-णा नदी प्रबंधन बोर्ड केन्द्रीय सरकार के नियंत्रणाधीन स्वशासी निकाय होंगे और ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर उन्हें दिए जाएं ।

(4) बोर्ड निम्नलिखित अध्यक्ष और सदस्यों से मिलकर बनेगा,--

(क) सचिव या अपर सचिव, भारत सरकार से अनिम्न पंक्ति या स्तर का एक अध्यक्ष, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ;

(ख) दो सदस्य, जिन्हें उत्तरवर्ती राज्यों में से प्रत्येक द्वारा नामनिर्दि-ट किया जाएगा, उनमें से संबंधित राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य मुख्य इंजीनियर से अनिम्न पंक्ति का एक तकनीकी सदस्य होगा और दूसरा प्रशासनिक सदस्य होगा ;

(ग) एक विशे-ाज्ञ, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दि-ट किया जाएगा ।

(5) प्रत्येक बोर्ड का एक पूर्णकालिक सचिव होगा, जो केन्द्रीय जल आयोग में मुख्य इंजीनियर की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा और जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा ।

(6) केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय जल आयोग में मुख्य इंजीनियर की पंक्ति के उतने पद सृजित करेगी, जितने वह आवश्यक समझे ।

(7) प्रत्येक बोर्ड को, जलाशयों के दिन-प्रतिदिन के प्रबंधन के लिए, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के अधीन गठित केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर सहायता प्रदान की जाएगी, जो केन्द्रीय सरकार विनिर्दि-ट करे । 1968 का 50

(8) बोर्ड के कृत्यों के अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे--

(क) परियोजनाओं से जल प्रदाय का उत्तरवर्ती राज्यों को, निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए, विनियमन--

(i) अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन गठित अधिकरणों द्वारा किए गए अधिनिर्णय ; 1956 का 33

(ii) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य और किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार को सम्मिलित करते हुए किया गया कोई करार या ठहराव ; और

(ख) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य और किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र की सरकार को सम्मिलित करते हुए किए गए किसी करार या ठहराव को ध्यान में रखते हुए विद्युत का वितरण करने के भारसाधक अधिकारी को उत्पादित विद्युत का प्रदाय किए जाने का विनियमन ; और

(ग) उत्तरवर्ती राज्यों के माध्यम से नदियों या उनकी सहायक नदियों से संबंधित जल संसाधन परियोजनाओं के विकास से संबंधित ऐसे शे-ा चालू या नए संकर्मों का निर्माण, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दि-ट करे ;

(घ) गोदावरी या कृ-णा नदियों पर नई परियोजनाओं के सन्निर्माण संबंधी किसी प्रस्ताव को आंकना तथा यह समाधान करने के पश्चात् कि ऐसी परियोजनाओं से

अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन राज्य के पुनर्गठन के पूर्व पहले से पूरी हो गई या आरंभ की गई परियोजनाओं के लिए गठित अधिकरणों के अधिनिर्णयों के अनुसार जल की उपलब्धता पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता है, तकनीकी मंजूरी प्रदान करना ; 1956 का 33

(ङ) ऐसे अन्य कृत्य, जिन्हें केन्द्रीय सरकार ग्यारहवीं अनुसूची में विनिर्दि-ट सिद्धान्तों के आधार पर उसे सौंपे ।

प्रबंध बोर्ड के कर्मचारिवृन्द ।

87. (1) बोर्ड उतने कर्मचारिवृन्द नियोजित करेगा जो वह इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन के लिए आवश्यक समझे और ऐसे कर्मचारिवृन्द को, प्रथमतः, उत्तरवर्ती राज्य से समान अनुपात में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाएगा और बोर्ड में स्थायी रूप से आमेलित किया जाएगा ।

(2) उत्तरवर्ती राज्यों की सरकारें सब समयों पर बोर्ड को उसके कृत्यों के निर्वहन के लिए अपेक्षित सभी व्ययों को (जिनके अन्तर्गत कर्मचारिवृन्द के वेतन तथा भत्ते भी है) पूरा करने के लिए आवश्यक निधियां उपलब्ध कराएंगी और ऐसी रकमों को सम्बद्ध राज्यों में ऐसे अनुपात में प्रभाजित किया जाएगा जैसे केन्द्रीय सरकार, उक्त राज्यों में से प्रत्येक के फायदों को ध्यान में रखते हुए, विनिर्दि-ट करे ।

(3) बोर्ड, अपनी ऐसी शक्तियां, कृत्य या कर्तव्य, जैसे वह ठीक समझे, उक्त बोर्ड के अध्यक्ष को या बोर्ड के किसी अधीनस्थ अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा ।

(4) केन्द्रीय सरकार, बोर्ड को दक्ष रूप से कार्य करने में समर्थ बनाने के प्रयोजनार्थ, संबद्ध राज्य सरकारों या किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसे निदेश जारी कर सकेगी और राज्य सरकारें या अन्य प्राधिकारी ऐसे निदेशों का अनुपालन करेंगे ।

बोर्ड की अधिकारिता ।

88. (1) बोर्ड, साधारणतया संबद्ध राज्यों को जल या विद्युत का प्रदाय करने के लिए आवश्यक जल शीर्-ा तंत्र (बैराज, बांध, जलाशय, विनियामक संरचना) नहर, नेटवर्क के भाग तथा पारे-ाण लाइनों पर उन परियोजनाओं में से किसी के बारे में ऐसी अधिकारिता का प्रयोग करेगा जैसी केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्तरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन गठित अधिकरणों द्वारा किए गए अधिनिर्णयों, यदि कोई हों, के अनुसार अधिसूचित की जाए । (1956 का 33)

(2) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है कि उपधारा (1) के अधीन उसमें निर्दि-ट किसी परियोजना पर बोर्ड की अधिकारिता है अथवा नहीं, तो उसे केन्द्रीय सरकार को उस पर विनिश्चय के लिए निर्दि-ट किया जाएगा ।

विनियम बनाने की बोर्ड की शक्ति ।

89. बोर्ड, निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों से संगत हों––

(क) बोर्ड के अधिवेशनों के समय और स्थान का तथा ऐसे अधिवेशनों में कारबार के संव्यवहार में अनुसरित की जाने वाली प्रक्रिया का विनियमन ;

(ख) बोर्ड के अध्यक्ष या किसी अधिकारी की शक्तियों तथा कर्तव्यों का प्रत्यायोजन ;

(ग) बोर्ड के अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति और उनकी सेवा शर्तों का विनियमन ;

(घ) कोई अन्य वि-ाय जिसके लिए विनियम बोर्ड द्वारा आवश्यक समझे जाएं ।

जल संसाधनों का आबंटन ।

90. कृ-ाा जल विवाद अधिकरण की अवधि निम्नलिखित निर्देश-निबंधनों के साथ बढ़ाई जाएगी, अर्थात् :––

(क) यह कि यह परियोजनावार विनिर्दि-ट आबंटन करेगा, यदि अंतरराज्यिक नदी जल विवाद अधिनियम, 1956 के अधीन गठित किसी अधिकरण द्वारा ऐसा आबंटन नहीं किया गया है; (1956 का 33)

(ख) यह कि यह कम प्रवाह की दशा में जल के परियोजनावार छोड़े जाने के

लिए कार्यान्वयन नयाचार (प्रोटोकाल) का अवधारण करेगा ।

स्प-टीकरण--इस धारा के प्रयोजनों के लिए यह स्प-ट किया जाता है कि अधिकरण द्वारा नियत दिन को या उसके पूर्व पहले से किए गए परियोजना-विनिर्दि-ट अधिनिर्णय उत्तरवर्ती राज्यों पर आबद्धकर होंगे ।

पोलावरम् सिंचाई परियोजना का रा-ट्रीय परियोजना होना ।

91. (1) पोलावरम् सिंचाई परियोजना को इसके द्वारा रा-ट्रीय परियोजना के रूप में घो-नित किया जाता है ।

(2) इसके द्वारा यह घो-नित किया जाता है कि लोकहित में यह समीचीन है कि संघ द्वारा सिंचाई के प्रयोजनों के लिए पोलावरम् सिंचाई परियोजना के विनियमन और विकास को अपने नियंत्रण में लिया जाना चाहिए ।

(3) केंद्रीय सरकार, पर्यावरण, वन और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन संबंधी सभी सन्नियमों का पालन करते हुए दोनों उत्तरवर्ती राज्यों की सरकारों के परामर्श से परियोजना का नि-पादन करेगी ।

तुंगभद्रा बोर्ड के संबंध में ठहराव ।

92. (1) तुंगभद्रा बोर्ड के संबंध में विद्यमान आन्ध्र प्रदेश राज्य का स्थान उत्तरवर्ती आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की सरकारें लेंगी ।

(2) तुंगभद्रा बोर्ड उच्च स्तरीय नहर, निम्न स्तरीय नगर और राजोलीबांदा अपयोजन स्कीम में जल छोड़े जाने को मानीटर करना जारी रखेगा ।

भाग 10

अवसंरचना और विशे-न आर्थिक उपाय

उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए सिद्धांतों, मार्गदर्शक सिद्धांतों का पालन किया जाना ।

93. केंद्रीय सरकार द्वारा, नियत दिन से ही कोयले, तेल और प्राकृतिक गैस और विद्युत उत्पादन, परे-ण और वितरण की शक्ति के संबंध में बारहवीं अनुसूची में यथा प्रगणित वि-नयों पर जारी किए गए सिद्धांतों, मार्गदर्शक सिद्धांतों, निदेशों और आदेशों का उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा कार्यान्वयन किया जाएगा ।

उत्तरवर्ती राज्यों की प्रगति और विकास से संबंधित उपाय ।

94. केंद्रीय सरकार, उत्तरवर्ती राज्यों की प्रगति और विकास के लिए तेरहवीं अनुसूची में यथा प्रगणित सभी आवश्यक उपाय करेगी ।

कर प्रोत्साहनों सहित राजवित्तीय उपाय ।

95. (1) केंद्रीय सरकार, दोनों राज्यों में उद्योगीकरण और आर्थिक विकास को प्रोन्नत करने के लिए उत्तरवर्ती राज्यों के प्रति समुचित राजवित्तीय उपाय, जिनके अंतर्गत कर प्रोत्साहनों की प्रस्थापना भी है, करेगी ।

(2) केंद्रीय सरकार, उत्तरवर्ती राज्यों में पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए, जिसके अंतर्गत भौतिक और सामाजिक अवसंरचना का विस्तार भी है, कार्यक्रमों का समर्थन करेगी ।

(3) केंद्रीय सरकार उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी में अनिवार्य सुविधाओं के, जिनके अंतर्गत राजभवन, उच्च न्यायालय, शासकीय सचिवालय, विधान सभा, विधान परि-नद् भी हैं, और ऐसी अन्य अनिवार्य अवसंरचनाओं के सृजन के लिए विशे-न वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगी ।

(4) केंद्रीय सरकार, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक नई राजधानी के सृजन को, यदि आवश्यक समझा जाए तो अवश्रेणीकृत वन्य भूमि को अधिसूचना में से निकाल कर, सुकर बनाएगी ।

भाग 11

उच्चतर शिक्षा तक पहुंच

सभी छात्रों को क्वालिटीयुक्त

96. उत्तरवर्ती राज्यों में सभी छात्रों के लिए क्वालिटीयुक्त उच्चतर शिक्षा के समान

उच्चतर शिक्षा के समान अवसर ।

अवसर सुनिश्चित करने की दृ-िट से, सभी सरकारी या प्राइवेट, सहायताप्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त, उच्चतर, तकनीकी और आयुर्विज्ञान शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश का विद्यमान कोटा दस व-र्ा से अनधिक की ऐसी अवधि तक जारी रहेगा जिसके दौरान विद्यमान सामान्य प्रवेश प्रक्रिया जारी रहेगी ।

भाग 12

विधिक और प्रकीर्ण उपबंध

97. संविधान के अनुच्छेद 168 के खंड (1) के उपखंड (क) में, "तमिलनाडु" शब्द के स्थान पर, "तमिलनाडु, तेलंगाना" शब्द रखे जाएंगे । संविधान के अनुच्छेद 168 का संशोधन ।

98. नियत दिन से ही, संविधान के अनुच्छेद 371घ में,–– संविधान के अनुच्छेद 371घ का संशोधन ।

(क) पार्श्व शी-र्ा में, "आंध्र प्रदेश राज्य" शब्दों के स्थान पर, "आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) खंड (1) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :––

"(1) रा-ट्रपति, आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में किए गए आदेश द्वारा, दोनों राज्यों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए दोनों राज्यों के विभिन्न भागों के लोगों के लिए लोक नियोजन के वि-ाय में और शिक्षा के वि-ाय में साम्यापूर्ण अवसरों और सुविधाओं का उपबंध कर सकेगा और दोनों राज्यों के विभिन्न भागों के लिए भिन्न-भिन्न उपबंध किए जा सकेंगे ।";

(ग) खंड (3) में, "आंध्र प्रदेश राज्य के लिए" शब्दों के स्थान पर, "आंध्र प्रदेश राज्य के लिए और तेलंगाना राज्य के लिए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ।

99. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 15क में, "तमिलनाडु राज्य विधान परि-ाद् के गठन" शब्दों के पश्चात् "और आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अधीन तेलंगाना राज्य की विधान परि-ाद् के गठन" शब्द और अंक अंतःस्थापित किए जाएंगे । 1951 के अधिनियम 43 की धारा 15क का संशोधन ।

1956 का 37

100. राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 में, नियत दिन से ही, खंड (ङ) में "आंध्र प्रदेश" शब्दों के स्थान पर, "आंध्र प्रदेश और तेलंगाना" शब्द रखे जाएंगे । 1956 के अधिनियम 37 की धारा 15 का संशोधन ।

101. भाग 2 के उपबंधों की बाबत यह नहीं समझा जाएगा कि उनसे उन राज्यक्षेत्रों में, जिन पर नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त आंध्र प्रदेश लैंड रिफार्म्स (सीलिंग आन एग्रिकल्चरल होल्डिंग्स) ऐक्ट, 1973 और कोई अन्य विधि विस्तारित होती है या लागू होती है, कोई परिवर्तन हुआ है और ऐसी किसी विधि में आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में राज्यक्षेत्रीय निर्देशों का, जब तक कि सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा अन्यथा उपबंधित न किया जाए, तब तक यह अर्थ लगाया जाएगा कि मानो वे नियत दिन के पूर्व विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के भीतर के राज्यक्षेत्र हैं । विधियों का राज्यक्षेत्रीय विस्तार ।

1973 का आंध्र प्रदेश अधिनियम सं0 1

102. नियत दिन के पूर्व बनाई गई किसी विधि के आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में लागू होने को सुकर बनाने के प्रयोजनार्थ समुचित सरकार उस दिन से दो व-र्ा की समाप्ति के पूर्व आदेश द्वारा, उस विधि के ऐसे अनुकूलन तथा उपांतरण, चाहे वे निरसन के रूप में हों या संशोधन के रूप में हों, जैसा आवश्यक या समीचीन हो, कर सकेगी और तब ऐसी प्रत्येक विधि, जब तक सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित न कर दी जाए, तब तक इस प्रकार किए गए अनुकूलनों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी । विधियों के अनुकूलन की शक्ति ।

स्प-टीकरण--इस धारा में "समुचित सरकार" पद से संघ सूची में प्रगणित किसी वि-ाय से संबंधित किसी विधि के बारे में केन्द्रीय सरकार, और किसी अन्य विधि के बारे में, उसके किसी राज्य को लागू होने की दशा में, राज्य सरकार अभिप्रेत है ।

103. इस बात के होते हुए भी कि नियत दिन के पूर्व बनाई गई किसी विधि के अनुकूलन के लिए धारा 101 के अधीन कोई उपबंध नहीं किया गया है या अपर्याप्त उपबंध किया गया है, ऐसी विधि को प्रवर्तित करने के लिए अपेक्षित या सशक्त किया गया कोई न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी, आंध्र प्रदेश राज्य अथवा तेलंगाना राज्य के संबंध में उसके लागू होने को सुकर बनाने के प्रयोजनार्थ, उस विधि का अर्थान्वयन, उसके सार पर प्रभाव डाले बिना, ऐसी रीति से कर सकेगा, जो, यथास्थिति, उस न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकारी के समक्ष मामले की बाबत आवश्यक या उचित हो। विधियों के अर्थान्वयन की शक्ति ।

कानूनी कृत्यों का प्रयोग करने वाले प्राधिकारियों, आदि को नामित करने की शक्ति । **104.** तेलंगाना राज्य की सरकार, अंतरित राज्यक्षेत्र के बारे में, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसे प्राधिकारी, अधिकारी या व्यक्ति को विनिर्दि-ट कर सकेगी जो नियत दिन को या उसके पश्चात्, उस दिन प्रवृत्त किसी विधि के अधीन ऐसे प्रयोक्तव्य कृत्यों का, जो उस अधिसूचना में वर्णित हों, प्रयोग करने के लिए सक्षम होगा और ऐसी विधि तदनुसार प्रभावी होगी ।

विधिक कार्यवाहियां । **105.** जहां, नियत दिन के ठीक पूर्व, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य इस अधिनियम के अधीन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच प्रभाजनाधीन किन्हीं संपत्ति, किन्हीं अधिकारों या दायित्वों की बाबत किन्हीं विधिक कार्यवाहियों का पक्षकार हो, वहां आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य, जो इस अधिनियम के किसी उपबंध के आधार पर उस संपत्ति या उन अधिकारों या दायित्वों का उत्तराधिकारी होता है या उनमें कोई अंश अर्जित करता है, उन कार्यवाहियों में विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया य़ा पक्षकार के रूप में जोड़ा गया समझा जाएगा और कार्यवाहियां तदनुसार चालू रखी जा सकेंगी ।

लंबित कार्यवाहियों का अंतरण । **106.** (1) नियत दिन के ठीक पूर्व, किसी ऐसे क्षेत्र में, जो उस दिन को आंध्र प्रदेश राज्य के भीतर आता हो, किसी न्यायालय (उच्च न्यायालय से भिन्न), अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी के समक्ष लंबित प्रत्येक कार्यवाही, यदि वह कार्यवाही अनन्यतः उस राज्यक्षेत्र से संबंधित है जो उस दिन से तेलंगाना राज्य के राज्यक्षेत्र हैं, तो वह उस राज्य के तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी को अंतरित हो जाएगी ।

(2) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठता है कि क्या उपधारा (1) के अधीन कोई कार्यवाही अंतरित हो जानी चाहिए तो उसे हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय को निर्दि-ट किया जाएगा और उस उच्च न्यायालय का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(3) इस धारा में,--

(क) "कार्यवाही" के अन्तर्गत कोई वाद, मामला या अपील भी है ; और

(ख) तेलंगाना राज्य में "तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी" से अभिप्रेत है--

(i) वह, न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी जिसमें या जिसके समक्ष वह कार्यवाही होगी, यदि वह नियत दिन के पश्चात् संस्थित की जाती है ; या

(ii) शंका की दशा में उस राज्य का ऐसा न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी, जो नियत दिन के पश्चात्, यथास्थिति, उस राज्य की सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा या नियत दिन के पूर्व विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार द्वारा तत्स्थानी न्यायालय, अधिकरण, प्राधिकारी या अधिकारी के रूप में अवधारित किया जाए ।

कतिपय मामलों में प्लीडरों का विधि व्यवसाय करने का अधिकार । **107.** ऐसा कोई व्यक्ति, जो नियत दिन के ठीक पूर्व विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य में किन्हीं अधीनस्थ न्यायालयों में विधि व्यवसाय करने के लिए हकदार प्लीडर के रूप में नामांकित किया जाता है, उस दिन से एक व-र्ा की अवधि के लिए, उन न्यायालयों में इस बात के होते हुए भी कि उन न्यायालयों की अधिकारिता के भीतर के संपूर्ण राज्यक्षेत्र या उनका कोई भाग तेलंगाना राज्य को अंतरित कर दिया गया है, विधि व्यवसाय करने का हकदार बना रहेगा ।

अधिनियम के उपबंधों का अन्य विधियों से असंगत होने की दशा में प्रभाव ।

108. इस अधिनियम के उपबंध किसी अन्य विधि में उनसे असंगत किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

109. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो रा–ट्रपति, आदेश द्वारा, ऐसी कोई बात कर सकेगा जो ऐसे उपबंधों से असंगत न हो और जो उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत हो :

परंतु ऐसा कोई आदेश, नियत दिन से तीन व–र् की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

पहली अनुसूची

(धारा 13 देखिए)

(i) आसीन पांच सदस्यों, जिनका कार्यकाल 9 अप्रैल, 2014 को समाप्त होगा, अर्थात् श्री टी. सुब्बारामी रेड्डी, श्री नन्दी येल्लया, श्री मोहम्मद अली खान, श्रीमती टी. रतना बाई और श्री के.वी.पी. रामचन्द्र राव में से ऐसे दो सदस्यों को जिन्हें राज्य सभा के सभापति लाट निकाल के अवधारित करें, तेलंगाना राज्य को राज्य सभा में आबंटित नौ स्थानों में से दो स्थान भरने के लिए निर्वाचित किया गया समझा जाएगा और तीन अन्य आसीन सदस्यों को आंध्र प्रदेश राज्य को आबंटित ग्यारह स्थानों में से तीन स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किया गया समझा जाएगा ।

(ii) आसीन छह सदस्यों, जिनका कार्यकाल 21 जून, 2016 को समाप्त होगा, अर्थात् श्री जेसुदासु सीलम, श्री जयराम रमेश, श्री एन. जनार्दन रेड्डी, श्री वी. हनुमंता राव, श्रीमती गुंडु सुधारानी और श्री वाई.एस. चौधरी में से ऐसे दो सदस्यों, जो राज्य सभा के सभापति द्वारा लाट निकाल कर अवधारित किए जाएंगे, तेलंगाना राज्य को आबंटित दो स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किए गए समझे जाएंगे और अन्य चार आसीन सदस्यों को आंध्र प्रदेश राज्य को आबंटित चार स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किया गया समझा जाएगा ।

(iii) आंध्र प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले छह आसीन सदस्यों, जिनका कार्यकाल 2 अप्रैल, 2018 को समाप्त होगा, अर्थात् श्री आनन्द भास्कर रपोलु, श्री के. चिरंजीवी, श्री पलवी गोवर्धन रेड्डी, श्रीमती रेणुका चौधरी, श्री टी. देवेन्द्र गौड और श्री सी.एम. रमेश में से ऐसे तीन सदस्य, जो राज्य सभा के सभापति द्वारा लाट निकाल कर अवधारित किए जाएं, तेलंगाना राज्य को आबंटित तीन स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किए गए समझे जाएंगे और अन्य तीन आसीन सदस्यों को आंध्र प्रदेश राज्य को आबंटित तीन स्थानों को भरने के लिए निर्वाचित किया गया समझा जाएगा ।

(iv) एक स्थान, जिसकी अवधि 9 अप्रैल, 2014 को समाप्त होगी और जो श्री नन्दमुरी हरिकृ-ण द्वारा 22 अगस्त, 2014 को त्यागपत्र दिए जाने के कारण रिक्त हो गया है, आंध्र प्रदेश राज्य को आबंटित किया जाएगा ।

दूसरी अनुसूची

(धारा 15 देखिए)

संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 2008 का संशोधन

संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 2008 में,--

1. अनुसूची 3 में,--

(i) सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से संबंधित सारणी 'क' में, क्रम सं0 1 से क्रम संख्यांक 119 (दोनों सम्मिलित) और उनसे संबंधित प्रविन्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ii) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों से संबंधित सारणी 'ख' में, क्रम संख्यांक 1 से 17 (दोनों सम्मिलित) और उनसे संबंधित प्रविन्टियों का लोप किया जाएगा ;

(2) अनुसूची 26 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"अनुसूची 26क

तेलंगाना

सारणी क - सभा निर्वाचन-क्षेत्र

क्रम संख्यांक और नाम	सभा निर्वाचन-क्षेत्रों का विस्तार
तेलंगाना राज्य के प्रत्येक जिले में निर्वाचन-क्षेत्रों के नाम और विस्तार से संबंधित विस्तृत विशिन्टियां ऐसी होंगी जैसी निर्वाचन आयोग द्वारा परिसीमित की जाएं ।	

सारणी ख - संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र

क्रम संख्यांक और नाम	संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों का विस्तार
1. आदिलाबाद (अ.ज.जा.)	1. सिरपुर, 5. आसिफाबाद (अ.ज.जा.), 6. खानापुर (अ.ज.जा.), 7. आदिलाबाद, 8. बोथ (अ.ज.जा.), 9. निर्मल और मुधोले
2. पेड्डापल्ले (अ.जा.)	2. चेन्नुर (अ.जा.), 3. बेल्लामपल्ले (अ.जा.), 4. मचेरियल (अ.जा.), 22. धर्मापुरी, 23. रामागुंडम, 24. मंथानी और 25. पेड्डापल्ले
3. करीम नगर	26. करीम नगर, 27. चोप्पाडांडी (अ.जा) 28. वेमुलवाड़ा, 29. सिरसिल्ला, 30. मान्कोंडुर (अ.जा.) 31. हुजूराबाद और 32. हुस्नाबाद
4. निजामाबाद	1. अरमुर, 2. बोधन, 17. निजामाबाद (शहरी) 18. निजामाबाद (ग्रामीण) 19. बालकोंडा, 20. कोरातला और 21. जगतियाल
5. जाहीराबाद	13, जुक्कल (अ.जा.), 14. बांसवाड़ा, 15. यल्लारेड्डी, 16. कामारेड्डी, 35. नारायणखेड, 36. अन्डोले (अ.जा.) और 38 जाहीराबाद (अ.जा.)
6. मेडक	33. सिद्धीपेट, 34. मेडक, 37 नरसापुर, 39. संगारेड्डी, 40. पाटनचेरू, 41. डुब्बक और 42. गजवेल
7. मलकाजगिरि	43. मेडचाल, 44. मलकाजगिरि, 45. कुथबुल्लापुर, 46. कुकटपल्ले, 47. उप्पल, 49. लाल बहादुर नगर और 71. सिकंदराबाद कैंट (अ.जा.)
8. सिकंदराबाद	57. मुशीराबाद, 59. अंबरपेट, 60. खैराताबाद, 61. जुबली हिल्स, 62. सनथनगर, 63. नामपल्ली और 70. सिकंदराबाद
9. हैदराबाद	58. मलकपेट, 64. कारवां, 65. गोशमहल, 66. चारमिनार, 67. चन्द्रयानगुट्टा, 68. याकुतपुरा और 69. बहादुरपुरा

10. चेवेल्ला	50. महेस्वरम, 51. राजेन्द्रनगर, 52. सेरीलिंगमपल्ली, 53. चेवेल्ला (अ.जा.) 54. पारगी, 55. विकाराबाद (अ.जा.) और 56. तन्दूर
11. महबूबनगर	72. कोडंगल, 73. नारायनपेट, 74. महबूबनगर, 75. जाडचेरला, 76. देवरकाडरा, 77. मकथाल और 84. शादनगर
12. नागरकुरनूल (अ.जा.)	78. वानापार्थी, 79. गडवाल, 80. आलमपुर (अ.जा.), 81. नागरकुरनूल, 82. अचम्पेट (अ.जा.), 83. कालवाकुरथी और 85. कोल्लापुर
13. नालगोंडा	86. देवराकोंडा (अ.ज.जा.) 87. नागार्जुन सागर, 88. मिरयालगुडा, 89. हुजूरनगर, 90. कोडाड, 91. सूर्यपेट और 92. नालगोंडा
14. भोंगिर	48. इब्राहिमपटनम, 93, मुनुगोडे, 94. भोंगिर, 95. नकरेकल (अ.जा.), 96. थुंगाथुरथी (अ.जा.) 97. अलेयर और 98. जनगांव
15. वारंगल (अ.जा.)	99. घानपुर (स्टेशन)(अ.जा.), 100 पालाकुरथी, 104. पारकल, 105. वारंगल पश्चिम, 106. वारंगल पूर्व, 107. वारधन्नापेट (अ.जा.) और 108. भुपालपल्ले
16. महबूबाबाद (अ.ज.जा.)	101. दोरनाकल (अ.ज.जा.) 102. महबूबाबाद (अ.ज.जा.), 103. नरसामपेट, 109. मुलुग (अ.ज.जा.) 110. पिनापाका (अ.ज.जा.) 111. येल्लान्डू (अ.ज.जा.) और 119. भद्राचलम (अ.ज.जा.)
17. खम्माम	112. खम्माम, 113. पालेयर, 114. मधिरा (अ.जा.) 115 वैरा (अ.जा.) 116. साथूपल्ले (अ.जा.) 117. कोथागुडेम और 118. असवारावपेटा (अ.ज. जा.)" ।

तीसरी अनुसूची

(धारा 25 देखिए)

परि-षद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (आंध्र प्रदेश) आदेश, 2006 में उपांतरण

परि-षद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (आंध्र प्रदेश) आदेश, 2006 से संलग्न अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :--

"सारणी

निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार	स्थानों की संख्या
(1)	(2)	(3)
	स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र	
1. श्रीकाकुल्लम स्थानीय प्राधिकारी	श्रीकाकुल्लम	1
2. विजयनगरम स्थानीय प्राधिकारी	विजयनगरम	1
3. विशाखापट्नम स्थानीय प्राधिकारी	विशाखापट्नम	2
4. पूर्व गोदावरी स्थानीय प्राधिकारी	पूर्व गोदावरी	2
5. पश्चिम गोदावरी स्थानीय प्राधिकारी	पश्चिम गोदावरी	2
6. कृ-णा स्थानीय प्राधिकारी	कृ-णा	2
7. गुन्टुर स्थानीय प्राधिकारी	गुन्टुर	2
8. प्रकाशम स्थानीय प्राधिकारी	प्रकाशम	1
9. नेल्लोर स्थानीय प्राधिकारी	नेल्लोर	1
10. चित्तूर स्थानीय प्राधिकारी	चित्तूर	2
11. कडप्पा स्थानीय प्राधिकारी	कडप्पा	1
	स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र	
1. श्रीकाकुल्लम - विजयनगरम - विशाखापट्नम स्नातक	श्रीकाकुल्लम, विजयनगरम, विशाखापट्नम	1
2. पूर्व-पश्चिम गोदावरी स्नातक	पूर्व-पश्चिम गोदावरी	1
3. कृ-णा-गुन्टुर स्नातक	कृ-णा, गुन्टुर	1
4. प्रकाशम-नेल्लोर-चित्तूर स्नातक	प्रकाशम, नेल्लोर, चित्तूर	1
5. कडप्पा-अनन्तपुर-कूरनूल स्नातक	कडप्पा, अनन्तपुर, कूरनूल	1
	अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्र	
1. श्रीकाकुल्लम - विजयनगरम - विशाखापट्नम अध्यापक	श्रीकाकुल्लम, विजयनगरम, विशाखापट्नम	1
2. पूर्व-पश्चिम गोदावरी अध्यापक	पूर्व-पश्चिम गोदावरी	1
3. कृ-णा-गुन्टुर अध्यापक	कृ-णा, गुन्टुर	1
4. प्रकाशम-नेल्लोर-चित्तूर अध्यापक	प्रकाशम, नेल्लोर, चित्तूर	1
5. कडप्पा-अनन्तपुर-कूरनूल अध्यापक	कडप्पा, अनन्तपुर, कूरनूल	1" ।

चौथी अनुसूची

[धारा 23 (2) देखिए]

उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की अन्तःकालीन विधान परि-ाद् के सदस्यों की सूची--

आंध्र प्रदेश की अन्तःकालीन विधान परि-ाद् :

स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों के सदस्य :

(1) इल्लापुरम वेंकय्या (2) पोथुल्ला रामा राव, (3) डी.वी. सूर्यानारायण राजू, (4) नारायण रेड्डी चदीपिराल्ला, (5) बोद्दू भास्करा रामाराव, (6) अंगारा राममोहन, (7) डा0 दसाई थिप्पा रेड्डी एम.एस., (8) मेका सेशु बाबू (9) पीरूकातला विश्व प्रसाद राव, (10) नारायणा रेड्डी वकाती (11) मेट्टु गोविन्दा रेड्डी ।

स्नातक निर्वाचन-क्षेत्रों के सदस्य :

1. बोद्दू नागेश्वर राव, (2) कालीडिन्डी रवि किरण वर्मा, (3) एम.वी.एस. सरमा, (4) यन्डापल्ली श्रीनिवासुलू रेड्डी, (5) डा0 गेयानंद एम ।

अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्रों के सदस्य :

(1) गड़े श्रीनिवासुलू नायडु, (2) के.वी.वी. सत्यनारायण राजू, (3) के.एस. लक्ष्मण राव, (4) बाला सुब्रह्मणयम वितापु ।

नामनिर्दि-ट सदस्य :

(1) जुपूदी प्रभाकर राव, (2) बलशाली इंदिरा, (3) डा0 ए. चक्रपणि, (4) आर. रेद्देप्पा रेड्डी, (5) शेख हुसैन ।

विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य :

(1) के. वीरभद्र स्वामी, (2) ए. लक्ष्मी शिव कुमारी, (3) आर. पदमा राजू (4) पालाडुगु वेन्कटा राव, (5) मोहम्मद जानी, (6) एन. राजकुमारी, (7) वाई. रामकृ-णुडु, (8) एस. बासव पुनय्या, (9) ए. अप्पा राव, (10) पी.जे. चन्द्रशेखरा राव, (11) बी. चांगल रायुडू, (12) पी. सामंताकुमारी, (13) सी. रामाचन्द्रय्या (14) एस.वी. सतीश कुमार रेड्डी, (15) जी. थिप्पे स्वामी, (16) एम. सुधाकर बाबू

तेलंगाना की अन्तःकालीन विधान परि-ाद् :

स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों के सदस्य :

(1) नेति विद्या सागर, (2) वी. भूपाल रेड्डी, (3) अरीकाला नरसा रेड्डी, (4) पोटला नागेश्वर राव, (5) टी. भानू प्रसाद राव, (6) एस. जगदीश्वर रेड्डी, (7) श्री एम.एस. प्रभाकर राव, (8) श्री पट्नम नरेन्द्र रेड्डी, (9) सय्यैद अमीनुल हसन जाफरी

स्नातक निर्वाचन-क्षेत्रों के सदस्य :

(1) डा0 के. नागेश्वर, (2) कपीलावई दिलीप कुमार, (3) के. स्वामी गोड

अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्रों के सदस्य :

(1) पथुरी सुधाकर रेड्डी, (2) पूला रविन्द्र, (3) काटेपल्ली जनार्धन रेड्डी

नामनिर्दि-ट सदस्य :

(1) डी. राजेश्वर राव, (2) फारूक हुसैन, (3) बी. वेंकटा राव

विधान सभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य :

(1) के.आर. अमोस, (2) मोहम्मद अली शब्बीर, (3) के. यादवा रेड्डी, (4) वी. गंगाधर गोड, (5) टी. सन्तो-ा कुमार, (6) एन. राजालिंगम, (7) डी. श्रीनिवास, (8) एम. रंगा रेड्डी, (9) पी. सुधाकर रेड्डी, (10) बी. लक्ष्मी नारायण, (11) मोहम्मद सलीम, (12) बी. वेंकटेश्वरलु, (13) पीर शब्बीर अहमद, (14) मोहम्मद महमूद अली, (15) सय्यद अलताफ हैदर रजवी ।

पांचवीं अनुसूची

(धारा 29 देखिए)

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में,--

(1) पैरा 2 में, "24" अंकों के स्थान पर "25" अंक रखे जाएंगे ।

(2) अनुसूची में,--

(क) आंध्र प्रदेश से संबंधित भाग 1 में, मद संख्या 9 का लोप किया जाएगा ;

(ख) भाग 24 के पश्चात् निम्नलिखित भाग अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"भाग 25 - तेलंगाना

1. आदि आंध्र
2. आदि द्रविड़
3. अनामुक
4. आरे माल
5. अरुंधतिय
6. अरब माल
7. बारिकी
8. बावुरी
9. बेड (बुडग) जंगम
10. बिंड्ल
11. बैगारा, बैगारी
12. चचाटि
13. चलवादि
14. चमार, मोची, मुचि, चमार - रविदास, चमार - रोहिदास
15. चम्भार
16. चंडाल
17. डक्कल, डोक्कलवार
18. डंडासि
19. ढोर
20. डोम, डोम्बार, पैडी, पनो
21. एल्लमल्वार, येल्लमालवाण्डल
22. धासी, हड्डी, रेल्लि, चचन्डि
23. गोडारी
24. गोसंगी
25. होलया
26. होलया दासारी
27. जग्गलि
28. जाम्बुबुलु

39\. कोलुपुलुबाण्डलु, पम्बांडा, पम्बाला

30\. मदासि, कुरुवा, मदारी कुरुवा

31. मादिगा
32. मादिगा दासु, माटीन
33. महार
34. माला, माला आयावारु
35. माला दासरि
36. माला दासु
37. माला हन्नाइ
38. माला जंगम
39. माल मस्ति
40. माला साले, नेट्कानि
41. माला सन्यासी
42. मांग
43. मांग गारोडी
44. मन्न
45. मन्टि
46. मातंगि
47. मेहतर
48. मिता अय्यल्वार
49. मुडला
50. पाकि, मोटि, तोटि
51. पामिडी
52. पंचम पेरिया
53. रेल्लि
54. सामगार
55. सम्बन
56. सप्रु
57. सिंधोल्लु, चिंदोल्लु
58. यातला
59. वल्लूवन ।"।

छठी अनुसूची

(धारा 30 देखिए)

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में संशोधन

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में,--

(1) पैरा, 2 में, "22" अंकों के स्थान पर "23" अंक रखे जाएंगे ।

(2) अनुसूची में,--

(क) आंध्र प्रदेश से संबंधित भाग 1 में, मद संख्या 20 में,--

(i) "(आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, महबूबनगर, मेडक, नालगोंडा, निजामाबाद और वारंगल जिलों को छोड़कर)" को-ठकों और शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ii) मद संख्या 30 और उससे संबंधित प्रविन्टियों का लोप किया जाएगा ;

(ख) भाग 24 के पश्चात् निम्नलिखित भाग अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"भाग 25 - तेलंगाना

1. आंध, साधू आंध
2. बगटा
3. भील
4. चेंचु
5. गडवा, बोडो गडावा, गुतोब गडावा, कलायी गडावा, पारांगी गडावा, कथेरा गडावा, काप गडावा
6. गोंड, नायक गोंड, राजगोंड, कोइटूर
7. गोडू, (अभिकरण भूखंडो में)
8. हिल रेड्डि
9. जातपू
10. कम्मरा
11. कडुनायकन
12. कोलम, कोलावार
13. कोंडधोरा, कुबी
14. कोड कापु
15. कोडारेड्डि
16. कोंध, कोडि, कोध, देसेच कोंध, डोंगारिया कोंध, कुट्टिया कोंध, टिकरिया कोंध, येनिटी कोंध, कुविंगा
17. कोटिया, वेंथो ओरिया, वारत्तिका, डुलिया, होल्वा, सनरोण, सिधोपैको
18. कोया, डोली कोया, गुट्टा कोया, कमारा कोया, मुसारा कोया, ओड्डी कोया, पटिदी कोया, राजा, राशकोया, लिंगधारी कोया (साधारण), कोट्टू कोया, भिण कोया, राजकोया
19. कुलिया

20. मालि (रंगारेड्डी, आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, महबूबनगर, मेडक, नलगोंडा, निजामाबाद और वारंगल जिले

21. मन्ना दोरा

22. मुक्खा दोरा, नूका दोरा

23. नायक (अभिकरण भूखंडों में)

24. परधान

25. पुर्जा, परांगीपेरजा

26. रेड्डी दोरा

27. रोणा, रेणा

28. सवार, कापू सवार, मालिया सवार, खुट्टा सवार

29. सुगाली, लम्बाडी, बंजारा

30. तोटि (आदिलाबाद, हैदराबाद, करीमनगर, खम्माम, महबूबनगर, मेडक, नलगोंडा, निजामाबाद और वारंगल जिलों में)

31. येनादी, चेला येनादी, कपाला येनादी, मांची येनादी, रेड्डी येनादी

32. येरुकुल्लास, कोरचा, डब्बा येरुकुल्ला, कुंचापुरी येरुकुल्ला, उपु येरुकुल्ला

33 नक्काला, कुरविकरन ।"।

सातवीं अनुसूची

(धारा 53 देखिए)

निधियों की सूची

1. अवमूल्यन रिजर्व निधि -- सरकारी वाणिज्यिक विभाग और उपक्रम--

    (i) अल्कोहल कारखाना, नारायणगुडा ;

    (ii) अल्कोहल कारखाना, कामारेड्डी ;

    (iii) आंध्र प्रदेश पाठ्यपुस्तक प्रेस ;

    (iv) राजकीय आसवनी, चगालु ;

    (v) राजकीय मृत्तिका कारखाना, गुडूर ;

    (vi) राजकीय ब्लाक ग्लास कारखाना गुडूर ;

2. प्राकृतिक विपत्ति अव्ययित अतिरिक्त धनराशि निधि ।

3. कर्मचारी कल्याण निधि (आंध्र प्रदेश राज्य) ।

4. राज्य आपदा अनुक्रिया निधि ।

5. शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए विकास निधि ।

6. कृनि प्रयोजनों के लिए विकास निधि ।

7. औद्योगिक विकास निधि--

    (i) हैदराबाद औद्योगिक अनुसंधान और विकास निधि ;

    (ii) शर्करा उद्योगों के संरक्षण के लिए आरक्षित निधि ;

    (iii) रेशम कीट पालन विकास निधि ।

8. विद्युत विकास निधियां -- विशे-ा आरक्षित निधि -- विद्युत ।

9. अन्य विकास और कल्याण निधियां--

    (i) विकास स्कीमों के लिए निधियां ;

    (ii) औद्योगिक बागान निधि ;

    (iii) आंध्र प्रदेश राज्य आसवनी ;

    (iv) आंध्र प्रदेश राज्य आसवनी प्रदू-ाण नियंत्रण ;

    (v) राज्य नवीकरण निधि ;

    (vi) आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास निधि ;

    (vii) सार्वजनिक पुस्तकालयों के उन्नयन के लिए समग्र निधि ।

10. जमींदारी उन्मूलन निधि ।

11. धार्मिक पूर्त विन्यास निधियां ।

12. एथाईल एल्कोहल संग्रहण सुविधा निधि ।

13. गारंटी मोचन निधि - विनिधान लेखा ।

14. के.जी. और पेन्नार जल निकास उपकर निधि ।

15. प्रतिभूति समायोजन रिजर्व ।
16. मुख्यमंत्री राहत निधि ।
17. नगरपालिका पर्यावरणीय स्कीम निधि ।
18. जिला प्रजा परि-ाद् निधियां ।
19. आंध्र प्रदेश चतुर्थ श्रेणी सरकारी सेवक कुटुम्ब पेंशन निधि ।
20. आंध्र प्रदेश राज्य कर्मचारी कुटुम्ब फायदा निधि ।
21. निक्षेप निधि - विनिधान लेखा ।
22. अभिदायी भवि-य निधि - 50 प्रतिशत भारित, एनआरएस ।
23. अखिल भारतीय सेवा भवि-य निधि ।
24. केन्द्रीय सड़क निधि से सरकारी सहायता ।
25. रा-ट्रीय विपत्ति आकस्मिकता निधि ।
26. पुलिस निधियों का निक्षेप ।
27. कृ-ाक संगम आरक्षण निधि ।
28. आंध्र प्रदेश सामाजिक कल्याण निधि निक्षेप ।
29. खनिज संसाधनों का विकास और प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि ।
30. ग्राम पंचायत निधि ।
31. मंडल प्रजा परि-ाद् निधियां ।
32. विपणन समिति निधियां ।
33. भवि-य निधि अभिदाय से जिला प्रजा परि-ादों के निक्षेप ।
34. बुनकरों के लिए थ्रिफ्ट निधि सह बचत और प्रतिभूति स्कीम ।
35. साधारण भवि-य निधि (नियमित) ।
36. आंध्र प्रदेश राज्य सरकारी जीवन बीमा निधि ।
37. आंध्र प्रदेश फसल बीमा निधि ।
38. राज्य कृ-ि प्रत्यय स्थिरीकरण निधि ।
39. राज्य बाजार पारस्परिक निधि ।
40. आंध्र प्रदेश शहरी अवसंरचना निधि का निक्षेप ।
41. बृहत्तर हैदराबाद नगरपालिका कारपोरेशन निधि ।

आठवीं अनुसूची

(धारा 60 देखिए)

पेंशनों की बाबत दायित्व का प्रभाजन

1. पैरा 3 में वर्णित समायोजनों के अधीन रहते हुए, विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा नियत दिन के पूर्व अनुदत्त पेंशनों की बाबत प्रत्येक उत्तरवर्ती राज्य अपने-अपने खजानों में से दी जाने वाली पेशनें संदत्त करेगा ।

2. उक्त समायोजनों के अधीन रहते हुए विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवा करने वाले उन अधिकारियों की पेंशनों के बारे में दायित्व, जो नियत दिन के पूर्व सेवानिवृत्त होते हैं या सेवानिवृत्ति पूर्व छुट्टी पर चले जाते हैं किन्तु पेंशनों के लिए जिनके दावे उस दिन के ठीक पूर्व बकाया हैं, आंध्र प्रदेश राज्य के दायित्व होंगे ।

3. नियत दिन से प्रारंभ होने वाली और नियत दिन के पश्चात् ऐसी तारीख को जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाए, समाप्त होने वाली अवधि की बाबत तथा प्रत्येक पश्चात्वर्ती वित्तीय वर्-ा की बाबत पैरा 1 और पैरा 2 में निर्दि-ट पेंशनों के बारे में दोनों उत्तरवर्ती राज्यों को किए गए कुल संदायों को संगणना में लिया जाएगा । पेंशनों और अन्य सेवानिवृत्ति फायदों की बाबत विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के कुल दायित्व का उत्तरवर्ती राज्यों के बीच प्रभाजन जनसंख्या के अनुपात में किया जाएगा और अपने द्वारा देय अंश से अधिक का संदाय करने वाले किसी उत्तरवर्ती राज्य की आधिक्य रकम की प्रतिपूर्ति राज्य या कम संदाय करने वाले राज्य द्वारा की जाएगी ।

4. नियत दिन के पूर्व अनुदत्त की गई और विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यक्षेत्र से बाहर किसी भी क्षेत्र में दी जाने वाली पेंशनों के बारे में विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का दायित्व, पैरा 3 के अनुसार किए जाने वाले समायोजनों के अधीन रहते हुए आंध्र प्रदेश राज्य का दायित्व होगा, मानो ऐसी पेंशनें पैरा 1 अधीन आंध्र प्रदेश राज्य के किसी खजाने से ली गई हों ।

5. (1) विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के कार्यकलाप के संबंध में नियत दिन के ठीक पूर्व सेवा करने वाले और उस दिन या उसके पश्चात् सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारी की पेंशन के बारे में दायित्व उसे पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे अनुदत्त करने वाले उत्तरवर्ती राज्य का दायित्व होगा, किन्तु किसी ऐसे अधिकारी को विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवा के कारण तात्पर्यित पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति फायदे का भाग उत्तरवर्ती राज्यों में जनसंख्या के अनुपात में आबंटित किया जाएगा और पेंशन अनुदत्त करने वाली सरकार, अन्य उत्तरवर्ती राज्यों में से प्रत्येक राज्य से इस दायित्व का उसका अंश प्राप्त करने की हकदार होगी ।

(2) यदि ऐसा कोई अधिकारी नियत दिन के पश्चात् पेंशन अनुदत्त करने वाले राज्य से भिन्न एक से अधिक उत्तरवर्ती राज्य के कार्यकलापों के संबंध में सेवा करता रहा हो, तो पेंशन अनुदत्त करने वाला राज्य उस सरकार को ऐसी रकम की प्रतिपूर्ति करेगा जिसके द्वारा पेंशन की रकम अनुदत्त की गई है, जिसको नियत दिन के पश्चात् की उसकी सेवा के कारण तात्पर्यित पेंशन के भाग का वही अनुपात हो, जो प्रतिपूर्ति करने वाले राज्य के अधीन नियत दिन के पश्चात् की उसकी अर्हक सेवा का उस अधिकारी को उसकी पेंशन के प्रयोजनार्थ परिकलित नियत दिन के पश्चात् की कुल सेवा का है ।

6. इस अनुसूची में पेंशन के प्रति निर्देश का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत पेंशन के संराशीकृत मूल्य के प्रति निर्देश भी है ।

नवीं अनुसूची

(धारा 69 और धारा 72 देखिए)

सरकारी कंपनियों और निगमों की सूची

क्रम सं.	सरकारी कंपनियों के नाम	पता
1.	आंध्र प्रदेश राज्य बीज विकास निगम लिमिटेड	एस-10-193, दूसरा तल, एचएसीए भवन, पब्लिक गार्डन के सामने, हैदराबाद - 500 004.
2.	आंध्र प्रदेश राज्य कृनि औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड	504, हर्मिटेज ऑफिस कांप्लेक्स, हिल फोर्ट रोड, हैदराबाद - 500 004
3.	आंध्र प्रदेश राज्य भांडागार निगम	वेयरहाउसिंग सदन, दूसरा तल, गांधी भवन के पीछे, नमपल्ली, हैदराबाद - 500 001
4.	आंध्र प्रदेश राज्य नागरिक पूर्ति निगम लिमिटेड	6-3-655/1/ए, सिविल सप्लाई भवन, सोमाजीगुड़ा, हैदराबाद - 500 082
5.	आंध्र प्रदेश गेन्को	विद्युत सुधा, खैरताबाद, हैदराबाद - 500 004
6.	आंध्र प्रदेश ट्रांसको	विद्युत सुधा, खैरताबाद, हैदराबाद - 500 004.
7.	सिंगारेनी कोयला खान कंपनी लिमिटेड	सिंगारेनी भवन, मचारमंजिल रेलहिल्स, हैदराबाद - 500 004
8.	एनआरईडीसीएपी	पिसगा कांप्लेक्स, नमपल्ली, हैदराबाद - 500 001
9.	आंध्र प्रदेश वन विकास निगम लिमिटेड	यूएनआई बिल्डिंग, तीसरा तल, ए.सी.गार्डस, हैदराबाद - 500 004
10.	आंध्र प्रदेश राज्य फिल्म और टेलीविजन थियेटर विकास निगम लिमिटेड	10-2-1, एफडीसी कांप्लेक्स, ए.सी.गार्डस, हैदराबाद - 500 004
11.	आंध्र प्रदेश चिकित्सीय सेवा अवसंरचना विकास निगम	एपीएमएसआईडीसी बिल्डिंग. डीएम एंड एचएस कैंपस, सुल्तान बाजार, हैदराबाद - 500 095
12.	आंध्र प्रदेश राज्य पुलिस हाउसिंग निगम लिमिटेड	डीआईजी ऑफिस, सैफाबाद, हैदराबाद - 500 004
13.	आंध्र प्रदेश राज्य हाउसिंग निगम लिमिटेड	3-6-184, स्ट्रीट सं.17, उर्दू हाल लेन, हिमायत नगर, हैदराबाद
14.	आंध्र प्रदेश हाउसिंग बोर्ड	ग्रुहकल्पा, एम.जे.रोड, नामपल्ली, हैदराबाद - 500 028
15.	आंध्र प्रदेश प्रौद्योगिकी सेवा लिमिटेड	बी.आर.के. बिल्डिंग, टैंक बंद रोड, हैदराबाद
16.	आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम लिमिटेड	रेयर ब्लॉक, तीसरा तल, एचएमडब्ल्यूएसएसबी परिसर, खैराताबाद, हैदराबाद - 500 004
17.	आंध्र प्रदेश औद्योगिक अवसंरचना निगम लिमिटेड	5-9-58/बी, छठा तल, परिश्रम भवन, बशीर बाग, हैदराबाद - 500 004
18.	आंध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम	5-9-58/बी, छठा तल, परिश्रम भवन,

	लिमिटेड	बशीर बाग, हैदराबाद - 500 004
19.	आंध्र प्रदेश राज्य वित्त निगम	5-9-194, चिराग अली लेन, अबिद, हैदराबाद - 500 001
20.	आंध्र प्रदेश चमड़ा उद्योग विकास निगम (एलआईडीसीएपी)	5-77/27, दरगाहुसैनी शॉ अली, गोलकोंडा पोस्ट, हैदराबाद - 500 008
21.	आंध्र प्रदेश हस्तशिल्प विकास निगम लिमिटेड	हस्तकला भवन, मुशीराबाद, एक्स रोड, हैदराबाद
22.	आंध्र प्रदेश राज्य व्यापार संवर्धन निगम लिमिटेड (एपीटीपीसी)	6-10-74, फतेह मैदान रोड, शकर भवन, हैदराबाद - 500 004
23.	आंध्र प्रदेश राज्य सिंचाई विकास निगम लिमिटेड	8-2-674/2/बी, रोड नं. 13, बंजारा हिल्स, हैदराबाद - 500 034
24.	आंध्र प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम लिमिटेड	पांचवा तल, ए.पी. स्टेट हज हाउस, पब्लिक गार्डन के सामने, नमपल्ली, हैदराबाद - 500 001
25.	आंध्र प्रदेश सुपेय निगम लिमिटेड	चौथा तल, प्रोहिबिसन एंड एक्साइज कंप्लेक्स, 9 एंड 10 इस्टर्न, एम.जे.रोड, नमपल्ली, हैदराबाद - 500 001
26.	आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम	बस भवन, मुशीराबाद, एक्स रोड, हैदराबाद
27.	आंध्र प्रदेश खाद्य	आईडीए, नचाराम, हैदराबाद - 500 076
28.	आंध्र प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	3-5-891,ए.पी. टुरिज्म हाउस, हिमायत नगर, हैदराबाद ।
29.	आंध्र प्रदेश राजीव स्वगरूहा निगम लिमिटेड	ए-06, शाहभवन, बांडलागुडा, जीएसआई (पोस्ट), हैदराबाद - 500 068.
30.	पूर्वी ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड	कारपोरेट ऑफिस, गुरूवार जंक्शन के नजदीक, पी एंड टी सीताम्मधारा कालोनी, विशाखापट्टनम - 530013.
31.	दक्षिणी ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड	# 1-13-65/ए, श्रीनिवासपुरम, तिरूपति-517503.
32.	केन्द्रीय ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड	6-1-50, कारपोरेट ऑफिस, मिंट कंपाउंड, हैदराबाद - 500 063.
33.	उत्तरी ऊर्जा वितरण निगम लिमिटेड	1-1-478, चैतन्यापुरी कालोनी, आरईएस पेट्रोल पंप के नजदीक, वरंगल.
34.	आंध्र प्रदेश हैवी मशीनरी एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड	रजिस्ट. ऑफिस एंड फैक्टरी, कोंडापल्ली - 521228. कृ-णा डिस्ट्रीक्ट
35.	निर्यात वाईज़ैग ऐपरल पार्क लिमिटेड	सी-ब्लॉक, चौथा तल, बीआरके भवन, हैदराबाद - 500 063.
36.	आंध्र प्रदेश राज्य क्रिश्चयन (अल्पसंख्यक) वित्त निगम	6-2-41, फ्लैट नं. 102, मुगल इमामी मेनसन, सदन कालेज के सामने, खैराताबाद, हैदराबाद - 500 004.
37.	हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड	मेट्रो रेल भवन, सैफाबाद, हैदराबाद - 500 004
38.	आंध्र प्रदेश शहरी वित्त अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	दूसरा तल, ई एंड पीएच कंप्लेक्स, कसाना बिल्डिंग, एसी गार्ड, हैदराबाद.
39.	आंध्र प्रदेश अवसंरचना विकास निगम (आईएनसीएपी)	10-2-1, तीसरा तल, एफडीसी कंप्लेक्स, एसी गार्ड, हैदराबाद - 500 028

40.	आंध्र प्रदेश विदेशी जनशक्ति कंपनी लिमिटेड (ओएमसीएपी)	आईटीआई मालेपल्ली कैंपस, विजयनगर कालोनी, हैदराबाद - 500 057
41.	आंध्र प्रदेश ऊर्जा वित्त निगम लिमिटेड	एल-ब्लॉक, चौथा तल, आंध्र प्रदेश सचिवालय, हैदराबाद
42.	आंध्र प्रदेश सड़क विकास निगम	आर एंड बी आफिस, महावीर के पास, एसी गार्ड, हैदराबाद - 500 057
43.	आंध्र प्रदेश जनजातीय ऊर्जा कंपनी लिमिटेड (टीआरआईपीसीओ)	चौथा तल, दामोदरम सांजिवाइआ संकेशमा भवन, मसब टैंक, हैदराबाद
44.	आंध्र प्रदेश जनजातीय खनन कंपनी लिमिटेड (टीआरआईएमसीओ)	चौथा तल, दामोदरम सांजिवाइआ संकेशमा भवन, मसब टैंक, हैदराबाद

दसवीं अनुसूची

(धारा 76 देखिए)

राज्य के कुछ संस्थाओं में सुविधाओं को जारी रखा जाना

प्रशिक्षण संस्थाओं/केन्द्रों की सूची

1. आंध्र प्रदेश राज्य सहकारी संघ, हैदराबाद ।
2. आंध्र प्रदेश पिछड़ा वर्गों के लिए स्टडी सर्कल, विशाखापट्टनम ।
3. पर्यावरण संरक्षण प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद ।
4. आंध्र प्रदेश वन अकादमी, रंगारेड्डी जिला ।
5. आंध्र प्रदेश राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परि-ाद् (एपीसीओएसटी), हैदराबाद ।
6. डॉ. एमसीआर मानव संसाधन विकास संस्थान आंध्र प्रदेश, हैदराबाद ।
7. सुशासन केन्द्र, हैदराबाद ।
8. स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण राज्य संस्थान, वंगालराव नगर हैदराबाद ।
9. राज्य तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण बोर्ड, हैदराबाद ।
10. आंध्र प्रदेश पुलिस अकादमी, हैदराबाद ।
11. जल और भूमि प्रबंधन प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद ।
12. एएमआर, आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास अकादमी, हैदराबाद ।
13. श्री रमनानंदा तीर्थ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान ।
14. आंध्र प्रदेश मद्यनि-ोध और उत्पाद शुल्क अकादमी ।
15. राज्य प्रौद्योगिकी शिक्षण संस्थान, हैदराबाद ।
16. राज्य शिक्षण अनुसंधान और प्रशिक्षण परि-ाद्, हैदराबाद ।
17. आंध्र प्रदेश अध्ययन केन्द्र, हैदराबाद ।
18. जनजातीय संस्कृति और अनुसंधान संस्थान, संक्षेमा भवन, मसाब टैंक, हैदराबाद ।
19. मध्यवर्ती शिक्षा बोर्ड, हैदराबाद ।
20. आंध्र प्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण अभिकरण, हैदराबाद ।
21. आंध्र प्रदेश पशुधन विकास अभिकरण, हैदराबाद ।
22. वन और प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन अध्ययन केन्द्र (सीईएफएनएआरएम), रंगारेड्डी जिला ।
23. आंध्र प्रदेश प्रेस अकादमी, हैदराबाद ।
24. एड्स नियंत्रण सोसाइटी, हैदराबाद ।
25. आंध्र प्रदेश चिकित्सीय एवं सुगंधित वनस्पति बोर्ड, हैदराबाद ।
26. आंध्र प्रदेश पराचिकित्सीय बोर्ड, हैदराबाद ।

27. आंध्र प्रदेश राज्य उच्चतर शिक्षा परि-ाद्, हैदराबाद ।
28. फौरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, हैदराबाद ।
29. राज्यस्तर पुलिस भर्ती बोर्ड ।
30. आंध्र प्रदेश नेटर्वक सोसाइटी (एसएपीएनईटी), हैदराबाद ।
31. आंध्र प्रदेश इंजीनियरी अनुसंधान प्रयोगशाला, हैदराबाद ।
32. आंध्र प्रदेश उर्दू अकादमी, हैदराबाद ।
33. आंध्र प्रदेश गरीबों के लिए शहरी सेवाएं, हैदराबाद ।
34. नगरपालिका क्षेत्र से गरीबी उन्मूलन मिशन (एमईपीएमए), हैदराबाद ।
35. आंध्र प्रदेश ग्रामीण जीवनयापन परियोजना (पी.एम.यू.), हैदराबाद ।
36. जल संरक्षण मिशन ।
37. ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी, हैदराबाद ।
38. रोजगार उत्पत्ति और विपणन मिशन, हैदराबाद ।
39. आंध्र प्रदेश राज्य दूर संवेदी प्रयोग केन्द्र, हैदराबाद ।
40. आंध्र प्रदेश ओपन स्कूल सोसाइटी, हैदराबाद ।
41. ए.पी.आर.ई.आई सोसाइटी, हैदराबाद ।
42. आंध्र प्रदेश समाजकल्यण आवासीय शिक्षा संस्थान सोसाइटी (ए.पी.एस.डब्ल्यू.आर.ई.आई.), हैदराबाद ।

ग्यारहवीं अनुसूची

[धारा 86 (7)(ङ) देखिए]

नदी प्रबंधन बोर्डों के कृत्यों को शासित करने वाले सिद्धांत

1. कृ-णा नदी जल विवाद अधिकरण द्वारा न्यायनिर्णयन के पश्चात्, समुचित विश्वसनीयता के आधार पर जल संसाधनों की बाबत जल संसाधन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित प्रचालन प्रोटोकाल दोनों उत्तरवर्ती राज्यों पर बाध्यकारी होगा ।

2. जल की सिंचाई और विद्युत के लिए मांग में विरोध की दशा में, जल की सिंचाई के लिए अपेक्षा अभिभावी होगी ।

3. जल की सिंचाई और पेयजल के लिए मांग में विरोध की दशा में, जल की पेयजल के प्रयोजन के लिए अपेक्षा अभिभावी होगी ।

4. गोदावरी और कृ-णा नदियों पर विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में या विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के क्षेत्रों के लिए नदी जल अधिकरणों द्वारा किए गए आबंटन सुनिश्चित जल की बाबत समान रहेंगे ।

5. भवि-य में किसी अधिकरण द्वारा अतिरिक्त प्रवाह के लिए किए जाने वाले भवि-यवर्ती आबंटन, यदि कोई हों, तेलंगाना राज्य तथा आंध्र प्रदेश के उत्तरवर्ती राज्य दोनों पर बाध्यकारी होंगे ।

6. जबकि उत्तरवर्ती राज्य सरकारें प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी होंगी, बोर्ड दोनों राज्य सरकारों को प्राकृतिक आपदाओं के प्रबंधन और शमन के लिए, विशे-नकर जल को छोड़ने के संदर्भ में, गोदावरी और कृ-णा नदियों में आपदा या सूखा अथवा बाढ़ के प्रबंधन के लिए परामर्श देंगे । बोर्ड को कृ-णा और गोदावरी नदियों पर बांधों, जलाशयों के मुख्य संकर्मों या नहरों के मुख्य संकर्मों के प्रचालन और उससे संबंधित संकर्मों, जिनके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित पन-बिजली परियोजनाए भी हैं के संबंध में, दोनों उत्तरवर्ती राज्य सरकारों द्वारा उनके आदेशों के त्वरित और प्रभावी क्रियान्वयन करवाए जाने के लिए पूर्ण प्राधिकार होगा ।

7. गोदावरी या कृ-णा नदियों पर समुचित विश्वसनीयता मानदंडों पर आधारित जल संसाधनों के आधार पर कोई नई परियोजनाएं नदी जल संसाधनों पर सर्वोच्च परि-द् से स्वीकृति प्राप्त किए बिना तेलंगाना राज्य या आंध्र प्रदेश के उत्तरवर्ती राज्य द्वारा प्रारंभ नहीं की जा सकेंगीं । ऐसे सभी प्रस्ताव उक्त सर्वोच्च परि-द् द्वारा स्वीकृति से पूर्व, क्रमवर्ती बोर्ड द्वारा पहले आंके तथा तकनीकी अनुमोदन किए जाएंगे ।

8. गोदावरी और कृ-णा नदियों पर चल रही परियोजनाओं तथा भवि-यवर्ती नई परियोजनाओं का कार्यान्वयन, उस संबंधित राज्य सरकार का उत्तरदायित्व होगा जहां परियोजना अवस्थित है ।

9. दोनों में से किसी भी राज्य द्वारा विनिश्चय के क्रियान्वयन होने की दशा में, व्यतिक्रमी राज्य उत्तरदायित्व का वहन करेगा तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिरोपित वित्तीय और अन्य शास्तियों का सामना करेगा ।

बारहवीं अनुसूची

[धारा 93 देखिए]

क. कोयला

1. सिंगरेनी कोयला खान कंपनी लिमिटेड (एससीसीएलएस) की कुल इक्वीटी का 51 प्रतिशत तेलंगाना सरकार का और 49 प्रतिशत भारत सरकार का होगा ।

2. एससीसीएल के विद्यमान कोयला अनुबंध किसी परिवर्तन के बगैर जारी रहेंगे ।

3. नए अनुबंध, भारत सरकार की नवीन कोयला वितरण नीति के अनुसार उत्तरवर्ती राज्यों को आबंटित किए जाएंगे ।

4. आबंटित कोयला ब्लाकों के अंतोपयोजी संयंत्रों को उनकी अपनी-अपनी क्षमताओं के अनुपात में आपूर्ति किए जाने वाले ब्लाक से कोयले की आपूर्ति जारी रहेगी ।

ख. तेल और गैस

1. प्राकृतिक गैस का आबंटन, भारत सरकार की नीतियों और उसके द्वारा समय-समय पर जारी मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार किया जाता रहेगा ।

2. तेल और गैस के घरेलू अपतट उत्पादन पर संदेय स्वामिस्व उस राज्य को प्रोद्भूत होगा जिसमें ऐसा उत्पादन हुआ है ।

ग. विद्युत

1. एपीजीईएनसीओ की इकाइयों को विद्युत संयंत्रों की भौगोलिक अवस्थिति के आधार पर विभाजित किया जाएगा ।

2. संबद्ध डीआईएससीओएमएस से किए गए विद्यमान विद्युत क्रय करार चालू परियोजनाओं और निर्माणाधीन परियोजनाओं, दोनों के लिए जारी रहेंगे ।

3. विद्यमान आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एपीईआरसी) छह मास से अनधिक अवधि के लिए संयुक्त विनियामक निकाय के रूप में कार्य करेगा, जिसके भीतर समय के भीतर उत्तरवर्ती राज्यों में पृथक् एसईआरसी स्थापित किया जाएगा ।

4. विद्यमान राज्य भार प्रे-ाण केन्द्र (एसएलडीसी), दो से अनधिक व-र् की अवधि हेतु दोनो उत्तरवर्ती राज्यों के लिए कार्य करेगा जिस समय के भीतर प्रत्येक उत्तरवर्ती राज्य के लिए पृथक् राज्य भार वितरण केन्द्र स्थापित किया जाएगा । इस अवधि के दौरान, विद्यमान एसएलडीसी बंगलूरू स्थित दक्षिणी आरएलडीसी के सीधे प्रशासन और नियंत्रणाधीन कृत्य करेगा ।

5. उत्तरवर्ती राज्यों से गुजरने वाली 132 के.वी. के एपीटीआरएएनएससीओ की पारे-ाण लाइनों और उच्चतर वोल्टेज की पारे-ाण लाइनों को अन्तरराज्यिक पारे-ाण प्रणाली (आईएसटीएस) लाइनों के अनुरूप समझा जाएगा । प्रत्येक उत्तरवर्ती राज्य के राज्यक्षेत्रों के भीतर आने वाली पारे-ाण लाइनें संबद्ध राज्य पारे-ाण इकाइयों को अन्तरित की जाएंगी । आईएसटीएस का रखरखाव भी उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा, क्रमशः उनकी अधिकारिताओं में किया जाएगा ।

6. केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों की विद्युत, तेलंगाना राज्य और आंध्र प्रदेश राज्य को ऐसे अनुपात में आबंटित होगी जो संबद्ध उत्तरवर्ती राज्य में सुसंगत डीएससीओएमएस

के पिछले पांच वर्-ा की वास्तविक ऊर्जा की खपत पर आधारित होगा ।

7. दस वर्-ा की अवधि के लिए, ऐसे उत्तरवर्ती राज्य को, जिसके पास कम मात्रा में विद्युत शक्ति है, अन्य उत्तरवर्ती राज्य से अधिशे-ा विद्युत को क्रय करने से इंकार करने का पहला अधिकार होगा ।

8. अनन्तपुर और कुरनूल जिले, जो आंध्र प्रदेश केन्द्रीय विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड की अधिकारिता में आते हैं, अब आंध्र प्रदेश दक्षिण विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड को पुनः सौंपे जाएंगे ।

तेरहवीं अनुसूची

[धारा 94 देखिए]

शिक्षा

1. भारत सरकार उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य में बारहवीं और तेरहवीं योजना अवधि में रा-ट्रीय महत्व की संस्थाओं की स्थापना के लिए उपाय करेगी । इसके अन्तर्गत एक आईआईटी, एक एनआईटी, एक आईआईएम, एक आईआईएसईआर, एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय, एक कृनि विश्वविद्यालय और एक आईआईआईटी है ।

2. भारत सरकार, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य में एक अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की तरह का अतिविशि-ट अस्पताल सह शिक्षण संस्था स्थापित करेगी ।

3. भारत सरकार, आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य प्रत्येक में एक जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करेगी ।

4. उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य में एक उद्यान कृनि विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा ।

अवसंरचना

1. भारत सरकार, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के दुग्गीराजूपट्नम में एक नवीन प्रमुख पत्तन विकसित करेगी जो 2018 के अन्त तक पहले चरण के साथ भिन्न-भिन्न चरणों में पूरा किया जाएगा ।

2. भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (एसएआईएल) उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य के खम्माम जिले में एक एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने की संभाव्यता की जांच करेगा ।

3. आईओसी या एचपीसीएल, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य में ग्रीनफील्ड क्रूड आयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कामप्लेक्स स्थापित करने की संभाव्यता की जांच करेगी ।

4. भारत सरकार, दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक कारीडोर के अनुरूप विशाखापट्नम - चेन्नई औद्योगिक कारीडोर स्थापित करने की संभाव्यता की जांच करेगी ।

5. भारत सरकार, विद्यमान विशाखापट्नम, विजयवाडा और तिरुपति विमानपत्तनों को विस्तारित करने की संभाव्यता की जांच करेगी ।

6. एनटीपीसी, उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य में 4000 मेगावाट विद्युत शक्ति सुविधा स्थापित करने की संभाव्यता की जांच करेगी ।

7. भारतीय रेल, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य में नवीन रेल जोन स्थापित करने की संभाव्यता की जांच करेगी ।

8. एनएचएआई, उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में सड़क संपर्क सुधारने के लिए आवश्यक उपाय करेगी ।

9. भारतीय रेल उत्तरवर्ती तेलंगाना राज्य में रेल कोच कारखाना स्थापित करने की संभाव्यता की जांच करेगी और राज्य में रेल संपर्क का सुधार करेगी ।

10. केन्द्रीय सरकार, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी से हैदराबाद तक त्वरित रेल और सड़क संपर्क स्थापित करने संबंधी उपायों पर विचार करेगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

पृथक् तेलंगाना राज्य के सृजन की मांग बहुत लंबे समय से की जा रही है जिससे उसकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और अन्य आकांक्षाओं को बेहतर रूप से पूरा किया जा सके । इसके अनुसरण में भारत सरकार ने 9 दिसंबर, 2009 को यह घो-ित किया था कि पृथक् तेलंगाना राज्य को बनाए जाने की प्रक्रिया आंरभ की जाएगी । भारत सरकार ने 3 अक्तूबर, 2013 को व्यापक स्तर पर विचार-विमर्श करने के पश्चात् आंध्र प्रदेश राज्य को विभाजित करने का विनिश्चय किया ।

2. आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक, 2014 पूर्वोक्त विनिश्चय को प्रभावी करने के लिए है । इसका उद्देश्य विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य को दो पृथक् राज्यों में अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य में पुनर्गठित करने का है । प्रस्तावित पुनर्गठन से तेलंगाना क्षेत्र के लोगों की लोकतांत्रिक आकांक्षाओं की ऐसी रीति में पूर्ति और दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के सभी वर्गों के लोगों में शांति, सद्भावना, प्रगति और समृद्धि सुनिश्चित होगी ।

3. उक्त विधेयक में, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रमुख विशे-ताएं इस प्रकार हैं :--

(क) इसमें दोनों उत्तरवर्ती राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश राज्य और तेलंगाना राज्य के राज्यक्षेत्रों के लिए उपबंध किया गया है और इसमें संसद् और राज्य विधान-मंडलों में प्रतिनिधित्व, राजस्वों का वितरण, आस्तियों और दायित्वों के प्रभाजन, जल संसाधनों, विद्युत और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन और विकास के लिए तंत्रों और अन्य वि-ायों से संबंधित आवश्यक उपबंध किए गए हैं ;

(ख) इसमें, नियत दिन के पश्चात् दोनों उत्तरवर्ती राज्यों के सभी क्षेत्रों और जिलों में शांति और सामंजस्य सुनिश्चित करने के लिए विधि और व्यवस्था बनाए रखने संबंधी उपबंध किए गए हैं ;

(ग) इसमें यह उपबंध किया गया है कि विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य में हैदराबाद, नियत दिन से, दस व-र् से अनधिक की अवधि तक, दोनों राज्यों की सामान्य राजधानी होगा और इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए विधिक और प्रशासनिक उपायों का उपबंध किया गया है कि दोनों ही राज्य सरकारें सामान्य राजधानी से, जिसमें हैदराबाद नगर निगम अधिनियम, 1955 के अधीन बृहत्तर हैदराबाद नगर निगम के रूप में अधिसूचित क्षेत्र भी है, दक्षतापूर्ण रूप से कार्य कर सकें ;

(घ) इसमें केंद्रीय सरकार पर उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य को अपनी नई राजधानी चुनने में सहायता प्रदान करने का और नई राजधानी में अनिवार्य सुविधाएं सृजित करने में उस राज्य को वित्तीय सहायता प्रदान करने का उत्तरदायित्व डाला गया है ;

(ङ) इसमें केंद्रीय सरकार पर, दोनों उत्तरवर्ती राज्यों में राजवित्तीय उपायों के माध्यम से और साथ ही उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में, विशि-टतया रायलसीमा क्षेत्र और उत्तरी तटीय जिलों में केंद्रीय सरकार द्वारा, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य को उपलब्ध संसाधनों को सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुए, एक विशे-ा विकास पैकेज देकर विकास संबंधी अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से उद्योगीकरण और आर्थिक विकास को प्रोन्नत करने का भी उत्तरदायित्व डाले जाने का भी उपबंध किया गया है ;

(च) इसमें यह घो-ित किया गया है कि पोलावरम सिंचाई परियोजना एक रा-ट्रीय परियोजना होगी जिसका नि-पादन केंद्रीय सरकार द्वारा शीघ्रतापूर्वक किया जाएगा ;

(छ) इसमें केंद्रीय सरकार को दोनों उत्तरवर्ती राज्यों की प्रगति और संधार्य विकास के लिए उद्योगीकरण का तथा शिक्षा, विद्युत, पत्तन, वायुपत्तन, सड़क परिवहन और रेलों से संबंधित अवसंरचना विकास का शीघ्रतापूर्वक उपबंध करने के लिए समर्थ बनाया गया है ।

4. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूति के लिए है ।

नई दिल्ली ; **सुशील कुमार शिन्दे**

8 फरवरी, 2014

खंडों पर टिप्पण

विधेयक का खंड 1 विधेयक के संक्षिप्त नाम से संबंधित है ।

विधेयक का खंड 2 प्रस्तावित विधान के अधीन प्रयुक्त पदों की परिभा-ााओं के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 3 तेलगांना राज्य के बनाए जाने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 4 यह उपबंध करता है कि आंध्र प्रदेश राज्य, खंड 3 में विनिर्दि-ट से भिन्न विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यक्षेत्रों को समावि-ट करेगा ।

विधेयक का खंड 5 उपबंध करता है कि हैदराबाद तेलगांना और आंध्र प्रदेश राज्यों के लिए सामान्य राजधानी होगी ।

विधेयक का खंड 6 आंध्र प्रदेश के लिए राजधानी के गठन हेतु एक विशे-ज्ञ समिति के गठन के लिए केंद्रीय सरकार को सशक्त करता है ।

खंड 7 यह उपबंध करता है कि विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का राज्यपाल सामान्य राज्यपाल होगा ।

विधेयक का खंड 8 सामान्य हैदराबाद राजधानी के निवासियों के संरक्षा करने के लिए राज्यपाल के उत्तरदायित्व हेतु उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 9 उत्तरवर्ती राज्यों आदि के लिए केंद्रीय सरकार से पुलिस बलों की सहायता के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 10 संविधान की पहली सूची का संशोधन करने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 11 राज्य सरकारों की व्यावृत्त शक्तियों के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 12 संविधान की चौथी सूची का संशोधन करने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 13 लोक सभा में आसीन सदस्यों के आबंटन के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 14 लोक सभा में प्रतिनिधित्व के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 15 संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 16 लोक सभा में आसीन सदस्यों के बारे में उपबंध करने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 17 विधान सभाओं के बारे में उपबंधों को करने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 18 विधान सभा के आसीन सदस्यों के आबंटन के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 19 तेलगांना की अंतःकालीन विधान सभा की संरचना के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 20 विधान सभाओं की अवधि के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 21 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 22 प्रक्रिया के नियमों के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 23 उत्तरवर्ती राज्यों के लिए अंतःकालीन विधान परि-ाद् के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 24 उत्तरवर्ती राज्यों के लिए विधान परि-ादों के लिए उपबंध करता

है ।

विधेयक का खंड 25 परि-ाद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक का खंड 26 विधान परि-ाद् के अध्यक्ष के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 27 निर्वाचन-क्षेत्रों के परिसीमन के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 28 परिसीमन आदेशों को अद्यतन रखने के लिए निर्वाचन आयोग को सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 29 अनुसूचित जातियां आदेश का संशोधन करने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 30 अनुसूचित जनजातियां आदेश का संशोधन करने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 31 आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय की स्थापना किए जाने तक हैदराबाद स्थित उच्च न्यायालय के सामान्य उच्च न्यायालय होने का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 32 आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 33 आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 34 आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की अधिकारिता के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 35 विधिज्ञ परि-ाद् और अधिवक्ताओं से संबंधित विशे-ा उपबंध के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 36 आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय में पद्धति और प्रक्रिया के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 37 आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की मुद्रा की अभिरक्षा के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 38 रिटों और अन्य आदेशिकाओं के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 39 न्यायाधीशों की शक्तियों के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 40 उच्चतम न्यायालय में अपील करने के बारे में प्रक्रिया के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 41 हैदराबाद उच्च न्यायालय से आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को कार्यवाहियों के अंतरण के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 42 आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय को अंतरित कार्यवाहियों में उपसंजात होने के लिए या कार्यवाही करने के अधिकार हेतु उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 43 खंड 41 के प्रयोजनों के लिए निर्वचन हेतु उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 44 भाग 4 के उपबंधों की बाबत व्यावृत्तियों के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 45 तेलगांना राज्य के व्यय के प्राधिकार के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 46 आंध्र प्रदेश राज्य की लेखाओं से संबंधित रिपोर्टों का उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 47 राजस्व के वितरण के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 48 भाग 6 के उपबंधों को लागू होने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 49 भूमि और माल के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 50 खजाना और बैंक अतिशे-न के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 51 करों की बकाया के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 52 उधारों और अग्रिमों को वसूल करने के लिए विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के अधिकार को सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 53 कतिपय निधियों में विनिधान और जमा के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 54 राज्य उपक्रमों की आस्तियों और दायित्वों के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 55 लोक ऋण के कारण दायित्वों के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 56 प्लवमान ऋण के कारण दायित्वों के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 57 आधिक्य में संगृहीत करों के प्रतिदाय के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 58 निक्षेपों आदि के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 59 भवि-य निधि की बाबत विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के दायित्वों के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 60 पेंशन की बाबत विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के दायित्वों के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 61 विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के दायित्वों द्वारा की गई संविदाओं के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 62 अनुयोज्य दो-न की बाबत दायित्व के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 63 प्रत्याभूतिदाता के रूप में दायित्व के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 64 उचंत मदों के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 65 विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य के किसी आस्ति या दायित्व के फायदे या भार के लिए अवशि-ट उपबंध हेतु उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 66 करार द्वारा आस्तियों या दायित्वों के प्रभाजन के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 67 केंद्रीय सरकार को कतिपय मामलों में आबंटन आदेश या समायोजन करने की शक्ति के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 68 कतिपय व्ययों के, यथास्थिति, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश या तेलगांना राज्यों की संचित निधि या भारत की संचित निधि पर भारित होने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 69 विभिन्न कंपनियों और निगमों के लिए उपबंधों हेतु उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 70 विद्युत शक्ति उत्पादन और प्रदाय और जल के प्रदाय के वि-नय में व्यवस्थाओं को जारी रखने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 71 आंध्र प्रदेश राज्य वित्त निगम के बारे में उपबंधों को करने हेतु उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 72 कंपनियों के लिए कतिपय उपबंधों हेतु उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 73 कतिपय विद्यमान सड़क परिवहन अनुज्ञा पत्रों के चालू रहने के बारे में अस्थायी उपबंधों के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 74 कतिपय मामलों में छंटनी प्रतिकर से संबंधित विशे-न उपबंधों के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 75 आयकर के बारे में विशे-न उपबंध हेतु उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 76 कतिपय राज्य संस्थाओं में सुविधाओं के जारी रहने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 77 अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित उपबंधों हेतु उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 78 अन्य सेवाओं से संबंधित उपबंधों हेतु उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 79 सेवाओं से संबंधित अन्य उपबंधों के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 80 अधिकारियों के उसी पद में बने रहने के बारे में उपबंधों हेतु उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 81 सलाहकार समितियों के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 82 केंद्रीय सरकार को निदेश देने के लिए सशक्त करता है ।

विधेयक का खंड 83 पब्लिक सेक्टर उपक्रमों आदि के कर्मचारियों के लिए उपबंध हेतु उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 84 राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में उपबंध हेतु उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 85 गोदावरी और कृ-णा नदी जल संसाधनों और उनके प्रबंधन बोर्डों के लिए उच्चतर परि-ाद् हेतु उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 86 नदी प्रबंध बोर्ड के गठन और कृत्यों के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 87 नदी प्रबंध बोर्ड के कर्मचारिवृंद के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 88 नदी प्रबंध बोर्ड की अधिकारिता के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 89 विनियमों को बनाने के लिए बोर्ड की शक्ति के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 90 जल संसाधनों के आबंटन के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 91 यह उपबंध करता है कि पोलावरम सिंचाई परियोजना एक रा-ट्रीय परियोजना हो ।

विधेयक का खंड 92 तुंगभद्रा बोर्ड के संबंध में ठहरावों के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 93 यह उपबंध करता है कि उत्तरवर्ती राज्य केंद्रीय सरकार द्वारा जारी सिद्धांतों, मार्गदर्शक सिद्धांतों आदि का अनुसरण करें ।

विधेयक का खंड 94 उत्तरवर्ती राज्यों की प्रगति और विकास के लिए उपायों हेतु उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 95 कर प्रोत्साहनों सहित राजवित्तीय उपायों हेतु उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 96 सभी छात्रों के लिए क्वालिटीयुक्त उच्चतर शिक्षा के लिए समान अवसरों हेतु उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 97 संविधान के अनुच्छेद 168 का संशोधन करने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 98 संविधान के अनुच्छेद 371घ का संशोधन करने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 99 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 15क का संशोधन करने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 100 राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 15 का संशोधन करने के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 101 विधियों के राज्यक्षेत्रीय विस्तार के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 102 विधियों के अनुकूलन करने के लिए शक्ति हेतु उपबंध करता

है ।

विधेयक का खंड 103 विधियों के अर्थान्वयन की शक्ति हेतु उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 104 कानूनी कृत्यों के प्रयोग करने के लिए प्राधिकारियों आदि को नामित करने हेतु उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 105 विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य में विधिक कार्यवाही के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 106 लंबित कार्यवाही के अंतरण के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 107 कतिपय मामलों में व्यवसाय करने के लिए प्लीडरों के अधिकार हेतु उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 108 अधिनियम के उपबंधों का अन्य विधियों से असंगत प्रभाव के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक का खंड 109 कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति के लिए उपबंध करता है ।

विधेयक की पहली अनुसूची विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य का राज्य सभा में प्रतिनिधित्व करने वाले अठारह आसीन सदस्यों के उत्तरवर्ती राज्यों को आबंटन के लिए उपबंध करती है ।

विधेयक की दूसरी अनुसूची संसदीय और सभा निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन आदेश, 2008 का संशोधन करने के लिए है ।

विधेयक की तीसरी अनुसूची परि-ाद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (आंध्र प्रदेश) आदेश, 2006 में उपांतरण करने के लिए है ।

विधेयक की चौथी अनुसूची उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों की विधान परि-ादों के सदस्यों की सूची के लिए उपबंध करती है ।

विधेयक की पांचवीं अनुसूची संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 का संशोधन करने के लिए उपबंध करती है ।

विधेयक की छठी अनुसूची संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 का संशोधन करने के लिए उपबंध करती है ।

विधेयक की सातवीं अनुसूची विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य की निधियों की सूची के लिए उपबंध करती है ।

विधेयक की आठवीं अनुसूची पेंशनों की बाबत दायित्व का प्रभाजन करने के लिए उपबंध करती है ।

विधेयक की नवीं अनुसूची विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य में सरकारी कंपनियों और निगमों की सूची के लिए उपबंध करती है ।

विधेयक की दसवीं अनसूची विद्यमान आंध्र प्रदेश राज्य में प्रशिक्षण संस्थाओं और केन्द्रों की सूची के लिए उपबंध करती है ।

विधेयक की ग्यारहवीं अनुसूची नदी प्रबंध बोर्डों के कार्यकरण को शासित करने वाले सिद्धान्तों के लिए उपबंध करती है ।

विधेयक की बारहवीं अनुसूची केन्द्रीय सरकार द्वारा कोयला, तेल और प्राकृतिक गैस, और विद्युत उत्पादन, पारे-ाण और वितरण से संबंधित वि-ायों पर सिद्धान्त, मार्गदर्शक सिद्धान्त आदि जारी किए जाने का उपबंध करती है ।

विधेयक की तेरहवीं अनुसूची शिक्षा और अवसंरचना से संबधित केन्द्रीय सरकार के राजवित्तीय उपायों के संबंध में उपबंध करने के लिए है ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 47, जो राजस्व के वितरण से संबंधित है, यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार जनसंख्या अनुपात और अन्य प्रतिमानों के आधार पर दो उत्तरवर्ती राज्यों के बीच तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए अधिनिर्णय के अंश का अवधारण करेगी । यह खंड उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य को, उस राज्य के लिए उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए समुचित अनुदानों का उपबंध करने के लिए भी है ।

विधेयक का खंड 68, जो भारत की संचित निधि पर भारित किए जाने वाले कतिपय व्यय से संबंधित है, यह उपबंध करने के लिए है कि, यथास्थिति, आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा या तेलगांना राज्य द्वारा अन्य राज्य को या केंद्रीय सरकार द्वारा उत्तरवर्ती राज्यों को प्रस्तावित विधान के उपबंधों के आधार पर संदेय सभी राशियां, यथास्थिति, राज्य की संचित निधि, जिसके द्वारा ऐसी राशियां संदेय हैं या भारत की संचित निधि पर भारित होंगी ।

विधेयक का खंड 95, जो राजवित्तीय उपायों और प्रोत्साहनों से संबंधित है, उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य की नई राजधानी में आवश्यक सुविधाओं और अवसंरचना के सृजन के लिए विशे-न वित्तीय सहायता के लिए उपबंध करता है जिसका निर्धारण किया जाना है । प्रस्तावित विधान के कार्यान्वयन के संबंध में केंद्रीय सरकार के विभागों और अभिकरणों के प्रशासनिक व्यय में कुछ सीमांत वृद्धि को छोड़कर, भारत की संचित निधि से कोई अतिरिक्त व्यय अंतर्वलित नहीं होगा ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 47, जो राजस्व के वितरण से संबंधित है, यह उपबंध करता है कि केंद्रीय सरकार जनसंख्या अनुपात और अन्य प्रतिमानों के आधार पर दो उत्तरवर्ती राज्यों के बीच तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए अधिनिर्णय के अंश का अवधारण करेगी । यह खंड उत्तरवर्ती आंध्र प्रदेश राज्य को, उस राज्य के लिए उपलब्ध संसाधनों को ध्यान में रखते हुए समुचित अनुदानों का उपबंध करने के लिए भी है ।

2. विधेयक का खंड 102 यह उपबंध करता है कि नियत दिन के पूर्व बनाई गई किसी विधि के आंध्र प्रदेश राज्य या तेलंगाना राज्य के संबंध में लागू होने को सुकर बनाने के प्रयोजनार्थ समुचित सरकार उस दिन से दो व-र्ा की समाप्ति के पूर्व आदेश द्वारा, उस विधि के ऐसे अनुकूलन तथा उपांतरण, चाहे वे निरसन के रूप में हों या संशोधन के रूप में हों, जैसा आवश्यक या समीचीन हों, कर सकेगी और तदुपरि ऐसी प्रत्येक विधि, जब तक सक्षम विधान-मंडल या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा परिवर्तित, निरसित या संशोधित न कर दी जाए, तब तक इस प्रकार किए गए अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगी ।

3. विधेयक का खंड 103 विधियों का अर्थान्वयन किए जाने की शक्ति से संबंधित है ।

4. विधेयक का खंड 104 कानूनी कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकारियों का नामित करने, आदि की शक्ति से संबंधित है ।

5. ऐसे ही उपबंध संसद् द्वारा पूर्व में पारित अन्य राज्य पुनर्गठन अधिनियमों में विद्यमान हैं । ये उपबंध मुख्यतः पारिणामिक प्रकृति के हैं या ब्यौरे और प्रक्रिया के वि-ायों से संबंधित है । अतः, विधायी शक्तियों का प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

भारत के संविधान से उद्धरण

*   *   *   *   *   *

पहली अनुसूची

(अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4)

1. राज्य

नाम	राज्यक्षेत्र
1. आंध्र प्रदेश	वे राज्यक्षेत्र जो आंध्र राज्य अधिनियम, 1953 की धारा 3 की उपधारा (1) में, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 3 की उपधारा (1) में, आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 की प्रथम अनुसूची में और आंध्र प्रदेश और मैसूर (राज्यक्षेत्र अंतरण) अधिनियम, 1968 की अनुसूची में विनिर्दि-ट हैं, किंतु वे राज्यक्षेत्र इसके अंतर्गत नहीं हैं जो आंध्र प्रदेश और मद्रास (सीमा-परिवर्तन) अधिनियम, 1959 की द्वितीय अनुसूची में विनिर्दि-ट हैं ।

*   *   *   *   *   *

चौथी अनुसूची

[अनुच्छेद 4(1) और अनुच्छेद 80(2)]

राज्य सभा में स्थानों का आबंटन

निम्नलिखित सारणी के पहले स्तंभ में विनिर्दि-ट प्रत्येक राज्य या संघ राज्यक्षेत्र को उतने स्थान आबंटित किए जाएंगे जितने उसके दूसरे स्तंभ में, यथास्थिति, उस राज्य या उस संघ राज्यक्षेत्र के सामने विनिर्दि-ट हैं ।

सारणी

1. आंध्र प्रदेश 18

*   *   *   *   *   *

तृतीय अनुसूची

(धारा 10 देखिए)

विधान परि-ादों में स्थानों का आबंटन

राज्य का नाम	स्थानों की कुल संख्या	अनुच्छेद 171(3) के अधीन निर्वाचित या नामनिर्दि-ट किए जाने वालों की संख्या				
		उपखंड (क)	**उपखंड** (ख)	**उपखंड** (ग)	**उपखंड** (घ)	**उपखंड** (ङ)
1	2	3	4	5	6	7
1.आंध्र प्रदेश	90	31	8	8	31	12

* * * * * *

भाग 2

कानूनी आदेश

परि-ाद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (आंध्र प्रदेश) आदेश, 2006

रा-ट्रपति, आंध प्रदेश विधान परि-ाद् अधिनियम, 2005 (2006 का 1) की धारा 3 की उपधारा (3) के अनुसरण में, निम्नलिखित आदेश करते हैं, अर्थात् :--

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम परि-ाद् निर्वाचन-क्षेत्र परिसीमन (आंध्र प्रदेश) आदेश, 2006 है ।

2. आंध्र प्रदेश राज्य में के (क) स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्रों, (ख) स्नातक निर्वाचक-क्षेत्रों और (ग) अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्रों से राज्य की विधान परि-ाद् के लिए निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य को जिन निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजित किया जाएगा, वे निर्वाचन-क्षेत्र, हर एक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार और हर एक ऐसे निर्वाचन-क्षेत्र को आबंटित स्थानों की संख्या वह होगी जो निम्नलिखित सारणी में दी गई है :--

सारणी

निर्वाचन-क्षेत्र का नाम	निर्वाचन-क्षेत्र का विस्तार	स्थानों की संख्या
1	2	3
स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन-क्षेत्र		
1. श्रीकाकुलम स्थानीय प्राधिकारी	श्रीकाकुलम	1
2. विजयनगरम स्थानीय प्राधिकारी	विजयनगरम	1
3. विशाखापटनम स्थानीय प्राधिकारी	विशाखापटनम	2
4. पूर्व गोदावरी स्थानीय प्राधिकारी	पूर्व गोदावरी	2
5. पश्चिम गोदावरी स्थानीय प्राधिकारी	पश्चिम गोदावरी	2
6. कृ-णा स्थानीय प्राधिकारी	कृ-णा	2
7. गुन्टुर स्थानीय प्राधिकारी	गुन्टुर	2
8. प्रकाशम स्थानीय प्राधिकारी	प्रकाशम	1
9. नेल्लोर स्थानीय प्राधिकारी	नेल्लोर	1
10.चित्तूर स्थानीय प्राधिकारी	चित्तूर	2
11. कडपा स्थानीय प्राधिकारी	कडपा	1

12. अनन्तपुर स्थानीय प्राधिकारी	अनन्तपुर	2
13. कुरनूल स्थानीय प्राधिकारी	कुरनूल	1
14. महबूबनगर स्थानीय प्राधिकारी	महबूबनगर	1
15. रंगारेड्डी स्थानीय प्राधिकारी	रंगारेड्डी	1
16. हैदराबाद स्थानीय प्राधिकारी	हैदराबाद	2
17. मेडक स्थानीय प्राधिकारी	मेडक	1
18. निजामाबाद स्थानीय प्राधिकारी	निजामाबाद	1
19. आदिलाबाद स्थानीय प्राधिकारी	आदिलाबाद	1
20. करीमनगर स्थानीय प्राधिकारी	करीमनगर	1
21. वारंगल स्थानीय प्राधिकारी	वारंगल	1
22. खम्माम स्थानीय प्राधिकारी	खम्माम	1
23. नलगौंडा स्थानीय प्राधिकारी	नलगौंडा	1

1	2	3
स्नातक निर्वाचन-क्षेत्र		
1. श्रीकाकुलम-विजयनगरम-विशाखापटनम स्नातक	श्रीकाकुलम, विजयनगरम,विशाखापटनम	1
2. पूर्व-पश्चिम गोदावरी स्नातक	पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी	1
3. कृ-णा-गुंटुर स्नातक	कृ-णा, गुंटुर	1
4. प्रकाशम-नेल्लोर-चित्तूर स्नातक	प्रकाशम, नेल्लोर, चित्तूर	1
5. कडपा-अनन्तपुर-कूरनूल स्नातक	कडपा, अनन्तपुर, कुरनूल	1
6. महबूबनगर-रंगारेड्डी-हैदराबाद-स्नातक	महबूबनगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद	1
7.मेडक-निजामाबाद-आदिलाबाद-करीमनगर स्नातक	मेडक-निजामाबाद-आदिलाबाद-करीमनगर	1
8. वारंगल-खम्माम-नलगोंडा स्नातक	वारंगल-खम्माम-नलगोंडा	1
अध्यापक निर्वाचन-क्षेत्र		
1. श्रीकाकुलम- विजयनगरम-विशाखापटनम अध्यापक	श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापटनम	1
2. पूर्व-पश्चिम गोदावरी अध्यापक	पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी	1
3. कृ-णा-गुंटुर अध्यापक	कृ-णा, गुंटुर	1
4. प्रकाशम-नेल्लोर-चित्तूर अध्यापक	प्रकाशम, नेल्लोर, चित्तूर	1
5. कडपा-अनन्तपुर-कूरनूल अध्यापक	कडपा, अनन्तपुर, कुरनूल	1
6. महबूबनगर-रंगारेड्डी-हैदराबाद-अध्यापक	महबूबनगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद	1
7.मेडक-निजामाबाद-आदिलाबाद-करीमनगर अध्यापक	मेडक-निजामाबाद-आदिलाबाद-करीमनगर	1
8. वारंगल-खम्माम-नलगोंडा अध्यापक	वारंगल-खम्माम-नलगोंडा	1

*   *   *   *   *   *

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 (सं0 आ0 19) से उद्धरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रा-ट्रपति ने सम्पृक्त राज्यों के राज्यपालों और राजप्रमुखों से परामर्श करने के पश्चात् अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :—

*   *   *   *   *   *

2. इस आदेश के उपबंधों के अध्यधीन यह है कि वे जातियां, मूलवंश या जनजातियां या जातियों या जनजातियों के भाग या उनमें के यूथ, जो कि इस आदेश की अनुसूची भाग 1 से लेकर भाग 24 तक में विनिर्दि-ट है उन राज्यों के संबंध में, जिनसे वे भाग क्रमशः सम्बद्ध जहां हैं, वहां तक कि उनके उन सदस्यों का संबंध है जो उन परिक्षेत्रों में निवासी हैं जो उस अनुसूची के उन भागों में उनके संबंध में विनिर्दि-ट हैं, अनुसूचित जातियां समझे जाएंगे ।

* * * * * *

अनुसूची

भाग 1—आन्ध्र प्रदेश

* * * * * *

9. बेड (बुडग) जंगम (हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर, आदिलाबाद, निजामाबाद, मेडक करीमनगर, वारंगल, खम्माम और नालगोंडा जिलों में)

* * * * * *

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 (सं0 आ0 22) से उद्धरण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रा-ट्रपति ने संपृक्त राज्यों के राज्यपालों और राजप्रमुखों से परामर्श करने के पश्चात् अपने प्रसाद से निम्नलिखित आदेश किया है, अर्थात् :—

* * * * * *

2. वे जनजातियां या जनजाति समुदाय या जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनमें के यूथ जो इस आदेश की अनुसूची के भाग 1 से लेकर भाग 22 तक में विनिर्दि-ट है, उन राज्यों के संबंध में जिनसे वे भाग क्रमशः संबद्ध हैं, वहां तक जहां तक कि उनके उन सदस्यों का संबंध है, जो उन परिक्षेत्रों में निवासी हैं ।

* * * * * *

अनुसूची

भाग 1—आन्ध्र प्रदेश

* * * * * *

20. मालि (आदिलाबाद, हैदराबाद, करीम नगर, खम्मम, महबूबनगर, मेदक, नलगोंडा, निजामाबाद और वरंगल जिलों को छोड़कर)

* * * * * *

भारत के संविधान से उद्धरण

* * * * * *

अध्याय 3--राज्य का विधान-मंडल

साधारण

168. राज्यों के विधान-मंडलों का गठन--(1) प्रत्येक राज्य के लिए एक विधान-मंडल होगा जो राज्यपाल और --

(क) आंध्र प्रदेश, बिहार, महारा-ट्र, कर्नाटक, और उत्तर प्रदेश राज्यों में दो सदनों से ;

* * * * * *

371घ. आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशे-ा उपबंध--(1) रा-ट्रपति, आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में किए गए आदेश द्वारा, संपूर्ण आंध्र प्रदेश राज्य की आवश्यकताओं का ध्यान रखते हुए, उस राज्य के विभिन्न भागों के लोगों के लिए लोक नियोजन के वि-ाय में और शिक्षा के वि-ाय में साम्यापूर्ण अवसरों और सुविधाओं का उपबंध कर सकेगा और राज्य के विभिन्न भागों के लिए भिन्न-भिन्न उपबंध किए जा सकेंगे ।

* * * * * *

(3) रा-ट्रपति, आदेश द्वारा, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए एक प्रशासनिक अधिकरण के गठन के लिए उपबंध कर सकेगा जो अधिकरण निम्नलिखित वि-ायों की बाबत ऐसी अधिकारिता, शक्ति और प्राधिकार का जिसके अंतर्गत वह अधिकारिता, शक्ति या प्राधिकार है जो संविधान (बत्तीसवां संशोधन) अधिनियम, 1973 के प्रारंभ से ठीक पहले (उच्चतम न्यायालय से भिन्न) किसी न्यायालय द्वारा अथवा किसी अधिकरण या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य था प्रयोग करेगा जो आदेश में विनिर्दि-ट किया जाए, अर्थात् :--

(क) राज्य की सिविल सेवा में ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर अथवा राज्य के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गों के सिविल पदों पर अथवा राज्य के भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर जो आदेश में विनिर्दि-ट किए जाएं, नियुक्ति, आबंटन या प्रोन्नति ;

(ख) राज्य की सिविल सेवा में ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर अथवा राज्य के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गों के सिविल पदों पर अथवा राज्य के भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर जो आदेश में विनिर्दि-ट किए जाएं, नियुक्त, आबंटित या प्रोन्नत व्यक्तियों की ज्ये-ठता ;

(ग) राज्य की सिविल सेवा में ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर अथवा राज्य के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गों के सिविल पदों पर अथवा राज्य के भीतर किसी स्थानीय प्राधिकारी के नियंत्रण के अधीन ऐसे वर्ग या वर्गों के पदों पर नियुक्त, आबंटित या प्रोन्नत व्यक्तियों की सेवा की ऐसी अन्य शर्तें जो आदेश में विनिर्दि-ट की जाएं ।

* * * * * *

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का अधिनियम संख्यांक 43) से उद्धरण

* * * * * *

15क. विधान परि-ादों कतिपय निर्वाचनों के लिए अधिसूचना---राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का 37) के अधीन मध्य प्रदेश राज्य की विधान परि-ाद् के गठन और आंध्र प्रदेश विधान परि-ाद् अधिनियम, 2005 (2006 का 1) के अधीन आंध्र प्रदेश राज्य की विधान परि-ाद् के गठन और तमिलनाडु विधान परि-ाद् अधिनियम, 2010 (2010 का 16) के अधीन तमिलनाडु राज्य की विधान परि-ाद् के गठन के प्रयोजन के लिए पूर्वोक्त राज्यों में से हर एक का राज्यपाल, ऐसी तारीख या तारीखों, जिनकी सिफारिश निर्वाचन आयोग द्वारा की जाए, राज्य के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित एक या अधिक अधिसूचनाओं द्वारा, राज्य की विधान सभा के सदस्यों से और सब परि-ाद् निर्वाचन-क्षेत्रों से अपेक्षा करेगा कि वे इस अधिनियम के और तद्धीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार सदस्य निर्वाचित करें ।

* * * * * *

राज्य पुर्गठन अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्यांक 37) से उद्धरण

* * * * * *

15. क्षेत्रीय परि-ादों की स्थापना--नियत दिन से, निम्नलिखित पांच क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय परि-ाद् होगी, अर्थात् :--

* * * * * *

(ङ) दक्षिणी क्षेत्र, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल राज्य तथा पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र समावि-ट होंगे ।

* * * * * *